Annexure- 5. (Pag① to 80)

प्रेषक,

राजमंगल सिंह यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली

सेवा में,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश
शामली

विषय– आदरणीय महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त डी0ओ0नं0 / 610 / 2021 इलाहाबाद दिनांकित 8 मार्च 2021 के के अनुक्रम में मांगी गयी रिर्पोट के संबंध में,

महोदय,

महोदय उपरोक्त डी0ओ0 के साथ संलग्न सुश्री मुक्ता त्यागी सि0जज जू0डि0 / जे0एम0 शामली द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 07.03.21 में प्रार्थी के संबंध में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया, निम्नानुसार संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें–

1. महोदय प्रार्थी सुश्री रूचि तिवारी सिविल जज सि0डि0 कैराना एवं सुश्री मुक्ता त्यागी सि0जज जू0डि0 / जे0एम0 शामली से कोई ईर्ष्या या वैमनस्य नहीं रखता है, और न ही प्रार्थी ने कभी दोंनों विद्वान न्यायिक अधिकारियों पर कभी किसी न्यायिक आदेश को पारित करने के लिये दबाव बनाया अपितु प्रार्थी अपने न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यो का सुचितापूर्वक निर्वहन करता है एवं किसी के न्यायिक कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करता है।

2. जहॉ तक धारा 377 भा0द0स0 के मामलों पुरूष (Male) पीडित के धारा 164 द0प्र0स0 के बयान को लिखे जाने का संबंध है, मेरे समक्ष कभी भी इस प्रकार की बात उपरोक्त दोनों विद्वान न्यायिक अधिकारी द्वारा न तो मौखिक रूप में और न ही लिखित रूप में उठायी गयी। जबकि सुश्री मुक्ता त्यागी सि0जज जू0डि0 / जे0एम0 शामली, एवं सुश्री रूचि तिवारी सिविल जज सि0डि0 कैराना द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में मुझसे लिखित रूप में मार्गदर्शन कई बार मांगा गया है, एवं 164 द0प्र0स0 के बयान एवं रिमांड कार्य के संबंध में भी लिखित रूप से मार्गदर्शन मांगा गया है, जबकि स्वस्थ परम्परा यह है कि किसी समस्या के संबंध में मौखिक रूप से पूँछताछ अपने वरिष्ठ से की जाती है, क्योंकि जिस विषय के संबंध में द0प्र0स0 में उपबंध है उसके बारे में सभी न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा होती है कि उसको विधि के उपबंधों का ज्ञान है और उसके संबंध में लिखित मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है इस तथ्य को आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ली गयी मासिक बैठक दिनांकित 11.07.19 के कार्यवृत्त के पैरा 35 में उल्लेख किया गया है(संलग्नक–1 लगायत 9)। उपरोक्त पत्राचार केवल प्रार्थी को परेशान करने के लिये प्रेषित किया गया और उक्त मामले में लगभग बीस दिन बाद पीडिता के बयान अंकित किये गये, जिससे पीडिता को कई दिन तक पुलिस अभिरक्षा में रहना पडा। कोई भी विधि या माननीय उच्च न्यायालय से निर्गत सर्कुलर लेटर महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा धारा 377 भा0द0स0 के मामलों पुरूष (Male) पीडित के धारा 164 द0प्र0स0 के बयान को लिखे जाने से निवारित नहीं करती है,। महोदय सुश्री रूचि तिवारी एवं सुश्री मुक्ता त्यागी के अतिरिक्त इस समय माह सितम्बर 2020 से श्रीमती प्रतिभा सिविल जज सी0डि0 / ए0सी0जे0एम, शामली को भी धारा 377 भा0द0स0 के मामलों पुरूष (Male) पीडित के धारा 164 द0प्र0स0 के बयान को लिखे के लिये मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है किन्तु उनके द्वारा आज तक ऐसी कोई समस्या मेरे समक्ष नहीं बतायी गयी। महोदय जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक मेरे अलावा मात्र सुश्री रूचि तिवारी एवं सुश्री मुक्ता त्यागी ही मजिस्ट्रेट न्यायालयों का कार्य कर रहे थे, और अन्य कोई अधिकारी नहीं थे। दिनांक 10.08.18 को शामली सेशन खंड घोषित होने से लेकर माह जनवरी 2021 तक न तो कभी मुझसे और न कभी भी आदरणीय जनपद

न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रत्येक माह ली जाने वाली मासिक बैठक में भी अपनी इस समस्या से अवगत नहीं कराया गया जबकि अपनी समस्याओं के संबंध में मुझसे दोनों ही न्यायिक अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में मार्गदर्शन मांगा जाता रहा है। मुझसे आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने कभी भी इस विषय पर कोई बात नहीं की। माह फरवरी 2021 में दिनांक 25.02.2021 को आयोजित मासिक बैठक में सर्वप्रथम सुश्री सुधा शर्मा सि0जज जू0डि0/जे0एम0 (FTC)शामली द्वारा यह बात माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष उठायी गयी, तब आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सभी अधिकारियों की उपस्थिति में मुझे निर्देशित किया कि यदि धारा 377 भा0द0स0 के अपराध के संबंध में पुरूष पीडित का धारा 164 द0प्र0स0 के अंतर्गत बयान लिखने के लिये आता है तो यथासंभव किसी पुरूष न्यायिक अधिकारी को बयान लिखने के लिये आदेशित किया करें। मैंने कहा कि आदरणीय महोदय आपके द्वारा इस संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा। सुश्री सुधा शर्मा सि0जज जू0डि0/जे0एम0 (FTC)शामली द्वारा भी मुझे कभी भी अपनी इस समस्या से अवगत नहीं कराया गया। महोदय यह भी अवगत कराना है कि माह जनवरी 2020 से सितम्बर 2020 तक मुख्यालय पर मेरे अतिरिक्त अन्य कोई पुरूष मजिस्ट्रेट जजशिप शामली में न्यायिक कार्य सम्पादित नहीं कर रहा था। इस प्रकार से प्रार्थी ने कभी किसी दुर्भावना से या किसी को परेशान करने के लिये किसी को धारा 164 द0प्र0स0 के बयान लिखने के लिये निर्देशित नहीं किया अपितु अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावनापूर्वक कार्य किया है।

महोदय जहाँ तक आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ए.डी.जे. के द्वारा धारा 164 द0प्र0स0 के द्वारा भेजे गये बयानों का प्रश्न है, प्रार्थी ने हमेशा विधिपूर्वक उनके आदेशों का पालन किया है और कभी भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की है। शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न एनेक्जर–1 के अनुसार मु0अ0स0 134/2019, धारा 377, 506, भा0द0स0 एवं 3/4 पोक्सों एक्ट थाना आदर्शमंडी के मामले में दिनांक 06.07.2019 को आदरणीय श्री रजत वर्मा सर के द्वारा मुझे बयान अंकित करने के लिये आदेशित किया गया है। मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र को विद्वान ए0सी0जे0एम0, कैराना को बयान लिखे जाने के लिये कहा गया। सामान्य अनुक्रम में मेरे समक्ष जो भी बयान लिखे जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसे द0प्र0स0 में सी0जे0एम0 के लिये कार्य अंतरण के सांविधिक उपबंधों के अधीन रहते हुये मेरे द्वारा अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जाता है, और इसी के अनुक्रम में मेरे द्वारा बयान लिखने के लिये कहा गया है। महोदय इस आदेश के पूर्व आदरणीय श्री रजत वर्मा सर द्वारा जितने भी बयान लिखे जाने हेतु प्रार्थना पत्र मुझे प्रेषित किये गये हैं, चाहे व पुरूष पीडित हो महिला पीडित हो, आदेश होता था कि Ld.CJM to arrange. (संलग्नक–10, 11) किन्तु इस मामले में अलग ही आदेश पारित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि डी0ओ0लेटर के साथ संलग्नक–1 एक गोपनीय दस्तावेज होता है और बंद लिफाफे में रखा जाता है, और बिना आदेश के इसकी प्रति या छायाप्रति प्राप्त नहीं की जा सकती। इस दस्तावेज की छायाप्रति कैसे प्राप्त की गयी, यह भी विचारणीय बिन्दु है। इस प्रकार से या तो उसी समय किसी अधिकारी द्वारा शिकायत करने के उद्देश्य से छायाप्रति करायी गयी, या तो सीलबंद लिफाफा से छेडछाड करके उक्त प्रार्थना पत्र की छायाप्रति प्राप्त की गयी। इस प्रकार से प्रार्थी ने कोई भी न्यायिक अनुशासनहीनता नहीं की है, और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

अपितु आदरणीय श्री रजत वर्मा सर के द्वारा दिनांक 13.05.20 को मु0अ0स0 238/20 धारा 363,376 भा0द0स0 एवं 3/4 पोक्सों एक्ट, थाना–कांधला में पीडिता धारा 164 द0प्र0स0 के प्रार्थना पत्र जिसमें पीडिता कु0 जानी का बयान होना था, पर आदेश पारित किया कि– Ld. C.J.M to record the statement। विवेचक ने मेरे समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो मैंने आदरणीय श्री रजत वर्मा सर से मिलकर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत सी0एल0नं–24 एडमिन जी।। दिनांकित 27.08.13 इलाहाबाद एवं सी0एल0नं0– 13639 दिनांकित 16.09.14 इलाहाबाद के द्वारा यह दिशा निर्देश है कि यदि मुख्यालय पर महिला न्यायिक अधिकारी उपस्थित है तो बलात्कार की पीडिता का बयान महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा ही लिखा जायेगा, और यदि मुख्यालय पर महिला न्यायिक अधिकारी उपस्थित नहीं तो पुरूष अधिकारी द्वारा न्यायालय में नियुक्त किसी महिला कर्मचारी

की उपस्थिति में लिखा जायेगा। मैंने कहा कि सर यदि मैंने बयान लिखा तो माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर लेटर का उल्लंघन हो जायेगा, और मैं फंस जाउगां, जबकि दो महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर आज उपस्थित है। तो आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने कहा कि मैंने आदेश कर दिया है और आपको बयान लिखना होगा। मैं पेरशान होकर आदरणीय तत्कालीन जिला जज साहब को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया, तब आदरणीय जिला जज साहब ने कहा चलो ठीक है, मैं अभी श्री रजत वर्मा सर से बात करता हूँ। तब आदरणीय तत्कालीन जिला जज साहब के कहने के बाद आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये आदेश–Ld. C.J.M to record the statement में संशोधन करते हुये or arrange for the same शब्द बढा दिया और आदेश पारित किया कि– Ld. C.J.M to record the statement or arrange for the same.(संलग्नक–12) उक्त प्रार्थना के पहले जितने भी प्रार्थना पत्र आदरणीय श्री रजत वर्मा सर द्वारा मेरे समक्ष 164 द0प्र0स0 के बयान के लिये मार्क किये जाते थे उसमें– Ld. C.J.M to arrannge. का आदेश होता था और मेरे द्वारा अक्षरशः उनके आदेशों का अनुपालन किया जाता था। इस प्रकार से प्रार्थी उपरोक्त घटनाक्रम से खुद मानसिक रूप से परेशान हुआ है, और प्रार्थी को फॅसाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से मेरे द्वारा कभी भी अपने पद का दुरूपयोग नहीं किया गया और न ही कोई अनुशासनहीनता की गयी और न ही किसी अधिकारी को पेरशान किया गया। मेरे बारे में जो भी बाते लिखी गयी हैं वो गलत हैं। मेरे द्वारा आदरणीय श्री रजत वर्मा सर के द्वारा या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जब कभी भी किसी न्यायिक कार्य के अलावा अन्य कार्य के लिये आदेशित किया गया मैंने उसका अनुपालन किया और कभी भी श्री रजत वर्मा सर ने मेरी अनुशासनहीनता के संबंध कोई शिकायत आदरणीय जनपद न्यायाधीश से नहीं की। अपितु प्रार्थी आदरणीय श्री रजत वर्मा सर के उक्त आदेश से स्वयं परेशान हुआ है। महोदय यह भी कहना है कि कई अवसर पर सुश्री रूचि तिवारी और सुश्री मुक्ता त्यागी ने धारा 164 द0प्र0स0 के बयान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन न लिखकर बिना किसी कारण के दूसरे –तीसरे दिन लिखा, जबकि धारा 164 का बयान उसी दिन हो जाना चाहिये, क्योंकि इसमें पीडिता की अभिरक्षा का बहुत ही संवेदनशील प्रश्न निहित होता है, और पीडिता को पुलिस अभिरक्षा में रहना पडता है। उपरोक्त तथ्य सी.जे.एम. होने के नाते मेरी निजी जानकारी में है क्योंकि धारा 164 इन तथ्यों से मुझे अवगत कराया जाता था।

महोदय इसी प्रकार से प्रार्थी दिनांक 30.06.20 को त्रैमासिक जेल निरीक्षण के लिये जिला कारागार मुजफ्फरनगर गया हुआ था, और मेरे न्यायालय का कार्य सुश्री मुक्ता त्यागी के द्वारा किया जा रहा था। महोदय उस दिन मेरे न्यायालय में नियुक्त आशुलिपिक श्री दिनेश कुमार आकस्मिक अवकाश पर था। मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों ने पूँछने पर सुश्री मुक्ता त्यागी को बताया कि दिनेश दो दिन से अवकाश पर है, इस बात पर उपस्थिति पंजिका मॅगाई गयी और उपस्थिति पंजिका प्राप्त न होने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को भेजा गया। महोदय दिनांक 30.06.20 को आदरणीय श्री रजत वर्मा सर रेसेज पर थे, और प्रभारी जिला जज आदरणीय श्री सुबोध सिंह ए0डी0जे0 साहब थे। किन्तु सुश्री मुक्ता त्यागी ने अपने प्रभाव से आदरणीय श्री रजत वर्मा सर से जबकि वह रेसेज पर थे, दिनांक 30.06.20 में स्पष्टीकरण तलब करा लिया (संलग्नक–13,14) इस प्रकार से प्रार्थी को उपरोक्त लोगों के द्वारा स्वतः परेशान किया जाता है।

महोदय प्रार्थी किसी भी अधिकारी से कोई विद्वेष नहीं रखता है। महोदय मु0अ0स0 155/20 धारा–376, 354ग,386,120 भा0द0स0, थाना–थानाभवन, में दिनांक 11.06.20 को विवेचक के द्वारा मामले में पीडिता के धारा 164 द0प्र0स0 के बयान दुबारा इस आधार पर अंकित किये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया कि पीडिता ने पुलिस अधीक्षक शामली को प्रार्थना पत्र दिया है कि जब मैं जज के सामने पहुँची तो जज ने मुझे बहुत धमकाया और कहा कि तुम पत्रकार का नाम इसमें से हटा दो। मैंने जज को कहा कि मैंने जो तहरीर में लिखा है, वह एक सच्ची घटना है और यही मेरा बयान है, लेकिन जज मुझे लगातार धमकाती रही जिससे मैं काफी डर गयी और सही से बोल नहीं पायी। महोदय उक्त बयान

सुश्री रूचि तिवारी द्वारा लिखा गया था। मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र का उसी दिन गुण–दोष पर निस्तारित करते हुये निरस्त किया गया (संलग्नक–15, 16) इस प्रकार से प्रार्थी कभी भी किसी अधिकारी से किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखता है।

इसी प्रकार से माह जून 2020 में आदरणीय श्री रजत वर्मा सर प्रभारी जिला जज के रूप में कार्य कर रहे थे। माह जून में सी0जे0एम0 होने के नाते मैंने आदरणीय श्री रजत वर्मा सर से कहा कि सर मानीटरिंग सेल की मीटिंग इस माह आयोजित करनी है तो सर ने कहा कि मैं आपके साथ मीटिंग नहीं करूँगा, जब आप रेसेस पर चले जायेंगें तब मैं आपके प्रभारी अधिकारी के साथ मानीटरिंग सेल की मींटिंग आहूत करूँगा। जिससे प्रार्थी काफी परेशान हुआ(संलग्नक–17) इस प्रकार से उपरोक्त तीनों ही अधिकारियों ने कई अवसरों पर प्रार्थी को परेशान एवं अपमानित किया है।

3. महोदय प्रार्थी के बारे में कथन किया गया है कि प्रार्थी ने सुश्री रूचि तिवारी और सुश्री मुक्ता त्यागी का प्रत्येक अल्टरनेट महीनों में रिमांड ड्यूटी जानबूझकर लगायी, और परेशान करने के लिये पन्द्रह–पन्द्रह दिन के लिये रिमांड की अवधि नियत की, और रिक्वेस्ट करने पर कि यह उचित नहीं है तो वह नहीं माने, और रिमांड ड्यूटी लगाते रहे, यह कथन बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। प्रार्थी के बारे में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी ने आकस्मिक परिस्थितियों में भी अपनी रिमांड ड्यूटी नहीं लगायी और हमारी बात को खारिज कर दिया, यह तथ्य भी बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। शिकायत पत्र के संलग्नक एनेक्जर 2 के संबंध में) यह भी तथ्य बिल्कुल गलत है कि मैंने अपनी कभी रिमांड ड्यूटी नहीं लगायी।

महोदय प्रार्थी द्वारा निम्न अवसरों पर स्वयं की रिमांड ड्यटी न्यायिक अधिकारियों के अनुरोध पर लगायी गयी है–

1. माह अगस्त 2018 पूरे महीने के लिये (संलग्नक– 18),
2. माह दिसम्बर 2018 पूरे महीने के लिये (संलग्नक–18) तत्कालीन सिविल जज सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 शामली, श्री रजनीश मोहन वर्मा, तत्कालीन सिविल जज जू0डि0/जे0एम शामली सुश्री रूचि तिवारी एवं तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा माह दिसम्बर में शीतावकाश में मौखिक अनुरोध करने पर कि शीतकालीन अवकाश में उनका बाहर जाने का कार्यक्रम है।
3. माह मार्च 2019 में रिमांड ड्यूटी संलग्नक के अनुसार सुश्री मुक्ता त्यागी तत्कालीन जे0एम0 शामली की थी, और दिनांक 20.03.19, 21.03.19, एवं 22.03.19 को होली का अवकाश था। सुश्री मुक्ता त्यागी अवकाश लेकर अपने घर गयी थी। दुर्भाग्यवश प्रार्थी की पत्नी का इस अवधि में बच्चे का मिसकैरिज हो गया था, और प्रार्थी की पत्नी बीमार हो गयी इस कारण प्रार्थी अपने गृह जनपद इलाहाबाद नहीं जा सका। चूँकि प्रार्थी मुख्यालय पर था इसलिये प्रार्थी ने सुश्री मुक्ता त्यागी को टेलीफोन करके कहा कि मैं मुख्यालय पर रूका हूँ, मैं आपकी रिमांड कर दूँगा आप अपने घर पर होली के त्यौहार पर रहिये। इस पर सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा मुझे धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया (संलग्नक–19)
3. दिनांक 28.04.19 को सि0जज सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 शामली के आकस्मिक परिस्थितियों में अवकाश लेने पर, (संलग्नक–20)
4. दिनांक 14.03.20 को सुश्री मुक्ता त्यागी के रिमांड के स्थान पर प्रार्थी द्वारा रिमांड करने की सहमति दी गयी। (संलग्नक–21)

महोदय जहॉ तक माह मार्च 2020 में रिमांड ड्यूटी में सहयोग न करने की बात है जिसके संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक 2 लगाया गया है उसके संबंध में प्रार्थी का निवेदन निम्न प्रकार से है–

1. यह कि माह जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक जजशिप शामली में प्रार्थी के अलावा केवल सुश्री रूचि तिवारी और सुश्री मुक्ता त्यागी ही मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य सम्पादित कर रहे थे।

2. माह मार्च 2020 में सुश्री रूचि तिवारी जी की रिमांड ड्युटी पूर्व से निर्धारित थी।

3. दिनांक 20.02.20 को सुश्री रूचि तिवारी द्वारा प्रार्थना पत्र रिमांड ड्युटी बदले जाने के लिये दिया गया कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर रामेश्वरम जाना है। मुझसे मौखिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया कि सर आप रिमांड यदि संभव हो तो एक दो दिन की देख लीजियेगा। मेरे द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से मौखिक रूप से विचार विमर्श करके दिनांक 24.02.20 को आदेश पारित किया गया (संलग्नक–22)

4. प्रार्थी को भी बाहर जाना था इसलिये सुश्री मुक्ता त्यागी की रिमांड ड्यूटी मेरे द्वारा लगायी गयी "(संलग्नक–23)

5. दिनांक 25.02.20 को पुनः प्रार्थना पत्र सुश्री रूचि तिवारी द्वारा भेजा गया कि सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा दिनांक 08.03.20 से 11.03.20 तक के लिये रिमांड करने की जो सहमति दी गयी है उसको उन्होंने वापस ले लिया है, और किसी अन्य मजिस्ट्रेट की नियुक्त किया जाये। इस प्रकार से न तो सुश्री रूचि तिवारी द्वारा और न ही सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा मुझसे पूँछा गया कि सर आपका घर इलाहाबाद है आपको तो इलाहाबाद नहीं जाना है। चूँकि प्रार्थी को बाहर जाना था इसलिये प्रार्थी ने दिनांक 25.02.20 को सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा रिमांड कार्य सम्पादित करने का आदेश पारित किया क्योंकि अन्य कोई मजिस्ट्रेट जजशिप में कार्यरत नहीं था।

6. बाद में आदरणीय तत्कालीन जिला जज साहब ने मुझसे कहा कि सुश्री मुक्ता त्यागी को अपने ट्रांसफर के संबंध में दिनांक 14.03.20 को इलाहाबाद जाना है, एक दिन की रिमांड हो सके तो देख लेना। मैंने कहा कि सर मुझसे किसी ने अपनी बात नहीं कही, और यदि मैं दिनांक 14.03.20 को मुख्यालय पर रहूँगा तो निश्चित रूप से सहयोग करूँगा। इस संबंध में आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने मुझे अपने विश्राम कक्ष में बुलाया और कहा कि सुश्री मुक्ता त्यागी की दिनांक 14.03.20 की रिमांड देख लीजिये यदि संभव हो तो। मैंने कहा कि मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ, आपके आदेश का अनुपालन होगा, यदि मैं मुख्यालय पर रहूँगा तो निश्चित सहयोग करूँगा, किन्तु संबंधित मजिस्ट्रेट ने मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। फिर मैंने दिनांक 14.03.20 के रिमांड कार्य में सहयोग प्रदान करने की सहमति दी। बाद में दिनांक 02.03.20 को सुश्री मुक्ता त्यागी ने मुझे फोन किया कि और कहा कि सर मेरी जिला जज साहब से बात हो गयी है आपने उनसे दिनांक 14.03.20 को रिमांड की सहमति तो दे दी है और दिनों के लिये सहमति के लिये उन्होंने कहा कि सी.जे.एम. साहब से बात कर लो। मैंने कहा कि मेरा बाहर जाने का कार्यक्रम है इसलिये मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार से प्रार्थी ने किसी को परेशान नहीं किया अपितु उपरोक्त पत्राचार से स्वयं परेशान हुआ।

महोदय जहॉ तक 15–15 दिन की रिमांड ड्यूटी लगाये जाने का प्रश्न है तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करके कोविड महामारी के दौरान लॉक डाउन लागू होने पर उक्त ड्यूटी दोनों ही न्यायिक अधिकारियों की लगायी गयी क्योंकि दोनो ही अधिकारी कोर्ट कैम्पस कैराना में ही रहते हैं, और आवास से कोर्ट की दूरी लगभग सौ मीटर से भी कम है। जबकि प्रार्थी कोर्ट कैम्पस से बारह किमी0 दूर शामली में निवास करता है। कोविड 19 के माहौल भारत सरकार के गाइडलाईन में बहुत ही कम बाहर निकलना हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कोविड 19 के दौरान बहुत ही सीमित मात्रा में न्यायिक कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार से प्रार्थी ने किसी को परेशान करने की नियत से रिमांड ड्यूटी नहीं लगायी गयी अपितु कोविड के कारण अपरिहार्य स्थिति में ऐसी व्यवस्था आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करने के बाद की गयी। न तो मुझसे और न ही आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से इस संबंध में किसी समस्या से दोनों ही न्यायिक अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। माह दिसम्बर 2020 में रिमांड ड्यूटी श्रीमती प्रतिभा सि0जज0सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 शामली के द्वारा की गयी (संलग्नक–24)

महोदय उपरोक्तानुसार प्रार्थी ने रिमांड ड्यूटी को लेकर सभी न्यायिक अधिकारियों का सहयोग किया है और कभी किसी को परेशान नहीं किया है और न ही अपने पद का दुरूपयोग किया है। अपितु प्रार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करता है। महोदय प्रार्थी ने जो भी रिमांड के संबंध में आदेश पारित किये हैं, आदरणीय जिला जज साहब से पूर्व विचार विमर्श करके किया है और उसकी प्रति आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया है। कभी कोई शिकायत मासिक बैठक में भी नहीं की गयी। उपरोक्त रिमांड के संबंध में आक्षेप करना एक प्रकार से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशों पर भी आक्षेप लगाया गया है, जो कि न्यायिक प्रतिष्ठान की सुचिता के लिये उचित नहीं है।

महोदय यह तथ्य यद्यपि प्रार्थी उल्लिखित नहीं करना चाहता क्योंकि यह न्यायिक प्रतिष्ठान के मूल्यों के विपरीत है किन्तु प्रार्थी के उपर आरोप लगाया गया तो प्रार्थी इस तथ्य को माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहा है। महोदय मई 2019 में सुश्री रूचि तिवारी की रिमांड ड्यूटी थी। दिनांक 19.05.19 दिन रविवार को रिमांड ड्यूटी उनके द्वारा न करके किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गयी। जबकि सुश्री रूचि तिवारी द्वारा न तो मुझे इस तथ्य से अवगत कराया गया और न ही कोई मुख्यालय छोडने की अनुमति का प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस तथ्य की जानकारी जब मुझे दूसरे दिन रिमांड मेरें समक्ष प्रस्तुत करने से हुयी तो मैंने तत्कालीन प्रभारी अधिकारी प्रशासन जनपद न्यायालय शामली श्री रजत वर्मा सर से इस बारे में कहा कि इसकी सूचना मैं भेज दूँ, क्योंकि प्रशासनिक आदेश को न मानना अनुशासनहीनता है, तो श्री रजत वर्मा सर ने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा, आप जानते नहीं कि मैं यहॉ पर ए0डी0जे0 प्रथम हूँ, और आप ठीक से कार्य नहीं कर पायेंगें। प्रार्थी ने उपरोक्त परिस्थितियों में इस तथ्य की सूचना नहीं भेजी। (संलग्नक–25, 26, 27)

महोदय इसी प्रकार से माह अक्टूबर 2020 में सुश्री रूचि तिवारी की रिमांड ड्यूटी धारा 167 द0प्र0स0 के अंतर्गत जेल में बंद बंदियों की वीडियों कान्फ्रेंसिंग के जरिये करने के लिये लगायी गयी थी। महोदय मु0अ0स0 83/20,धारा 147,148,452,323,324,506,326 थाना–झिंझाना, में अभियुक्त गयूर का दिनांक 11.10.20 को 13.10.20 तक के लिये एवं मु0अ0स0 438/20 धारा 147,148,452,504,323,506,307 थाना कैराना में अभियुक्त अहसान,आमिल, और बिल्लू का रिमांड उपरोक्त धाराओं में दिनांक 10.10.20 को 13.10.20 तक के लिये स्वीकृत किया गया। प्रथम रिमांड के दिन ही रिमांड के सबंध में दो–दो आदेश पारित किये गये। एक तरफ तो रिमांड स्वीकृत भी गया और दूसरी ओर आदेश पारित किया गया कि धारा 307, एवं 326 का प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है। पुनः दिनांक 13.10.20 को जब अभियुक्तगण का उपरोक्त मामलों में जरिये वीडियो कान्फ्रेसिंग रिमांड कराने के लिये कोर्ट मोहर्रिर गया तो रिमांड करने से इंकार कर दिया और कहा कि मैं इन मामलों में रिमांड नहीं करूँगी जबकि उस दिन जरिये वीडियो कान्फ्रेसिंग से रिमांड करने की ड्यूटी सुश्री रूचि तिवारी की लगी हुयी थी। महोदय उस दिन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में मानीटरिंग सेल की मीटिंग आयोजित की गयी थी। सुश्री रूचि तिवारी ने मुझे फोन किया किन्तु साइलेंट मोड में मींटिंग में होने के कारण प्रार्थी फोन नहीं उठा सका। बाद में आरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समझाने के बाद लगभग सात बजे शाम को एक दिन का रिमांड सुश्री रूचि तिवारी द्वारा स्वीकृत किया गया, और अगले दिन प्रार्थी के समक्ष रिमांड पेश करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार से मेरे आदेशों का अनुपालन भी नहीं किया जाता रहा है। (संलग्नक–28, 29, 30)

4. महोदय जहॉ तक आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रार्थी का पक्ष लिये जाने का प्रश्न है बिल्कुल गलत है। प्रार्थी को अब तक आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निम्न डी.ओ. लेटर दिया गया है–

1. डी0ओ0 नं0 15/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश /2021 दिनांकित 18.01.21

2 .डी0ओ0 नं0 21/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश /2021 दिनांकित 20.02.21

प्रार्थी के बारे में कथन किया गया है कि प्रार्थी ने मृत व्यक्तियों के पक्ष में वाहन रिलीज किये है। चूँकि इस संबंध में कोई विशिष्ठ विवरण नहीं दिया गया है अतः इसके विषय में इतना ही कहना है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधि के उपबंधों के अनुसार सद्भाविक होकर करता है।

5. जहॉ तक मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा0द0स0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कॉधला में मेरे द्वारा गंभीर धाराओं को हटाने का प्रश्न है, इसके संबंध में मुझे सर्वप्रथम जानकारी आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के डी0ओ0 नं0 21/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश /2021 दिनांकित 20.02.21 के द्वारा हुयी।

उसके संबंध में यह कहना है कि कोविड 19 के कारण माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 395/इंफ्र सेल दिनांकित 16 मार्च 2020 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 16.03.20 के अनुक्रम में जनपद शामली के सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समस्त अर्जेंट कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था (संलग्नक–31) । उपरोक्त रिमांड मेरे समक्ष न्यायालय सि0जज0 जू0डि0/जे0एम0, शामली जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में सुश्री मुक्ता त्यागी कार्यरत हैं, के कोर्ट मोहर्रिर श्री अश्विनी द्वारा कराया गया था। जो प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ मुझे उपलब्ध करायी गयी है उनके अवलोकन से दर्शित होता है कि रिमांड रिक्वेस्ट प्रपत्र पर मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा0द0स0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कॉधला में प्रभारी अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा रिमांड स्वीकृत की गयी है। रिमांड प्रपत्र पर सभी अंकन कोर्ट मोहर्रिर द्वारा की गयी है और उसी के हस्तलेख में है। कार्य अधिकता एवं उस दिन कोविड महामारी के कारण प्रार्थी समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों का कार्य कर रहा था। प्रार्थी ने कोई भी गंभीर धाराये नहीं हटायी बल्कि कोर्ट मोहर्रिर द्वारा रिमांड शीट एवं वारंट पर उक्त धाराओ का अंकन नहीं किया गया। यदि प्रार्थी को गंभीर धाराये हटाना होता तो फिर रिमांड क्यों स्वीकृत करता। उसी दिन प्रार्थी द्वारा अन्य रिमांड भी किये गये । इस प्रकार गंभीर धाराओं के हटाने और अभियुक्त को लाभ पहुँचाने का तथ्य बेबुनियाद है और प्रार्थी ने सद्भाविक रूप से अपने न्यायिक कार्य को सम्पादित किया है। उक्त मामला थाना कांधला से संबंधित है और उस समय थाना कांधला का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी पीठासीन अधिकारी न्यायालय सि0जज जू0डि0/जे0एम0 शामली के पास था।

महोदय सुश्री मुक्ता त्यागी ने अपने डी0ओ0 नं0 20/पी.ए.एस जनपद न्यायाधीश/2021 के अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 में यह कहा है कि श्रीमती ललिता ने उन्हें यह बताया कि रिमांड के समय ही सी0जे0एम0 ने यह कहा था कि मैं तुम्हारे लोगों को जेल से छुडवा दूँगा क्योकि कोविड 19 में लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते सात वर्ष तक की सजा वाले सभी अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अंतरिम जमानत पर छोडा जा सकता है, इसलिये तो मैंने रिमाण्ड में जानबूझकर धाराओं का लोप किया है। तुम निश्चिन्त रहो तुम्हारा काम हो जायेगा और मैंने जेल में जाकर अंतरिम जमानत देने की अपनी ड्यूटी लगायी है, वरना रिमांड मैं क्यों करूँ।

उपरोक्त तथ्य बिल्कुल गलत और निराधार है। मेरे द्वारा उक्त रिमांड प्रभारी अधिकारी के रूप में दिनांक 17.03.20 को किया गया है। कोविड19 के कारण जेल में निरूद्ध सात साल तक के सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को रिहा किये जाने का निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा suo moto writ petition No-01/2020 In Re Contagion Covid 19 In Prision एवं उ0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक सं0 कैम्प मेमो/एस0एल0एस0ए0–15/2020(पी0एस0सरन) दिनांकित 27 मार्च 2020 में दिये गये थे । जिसके अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांकित 28.03.20 के द्वारा न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जेल में जाकर विचाराधीन अभियुक्तों अंतरिम जमानत

प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया था। प्रार्थी द्वारा जेल में जाकर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में अपनी कोई ड्यूटी नहीं लगायी गयी थी। अपितु माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अपने प्रशासिनक आदेशों से सभी न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी और उसी के अनुक्रम में प्रार्थी के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है (संलग्नक–32,33) यह तथ्य सुश्री मुक्ता त्यागी की जानकारी में भी है क्योंकि उनकी भी ड्यूटी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लगायी गयी थी। इस प्रकार से यह कथन कि मेरे द्वारा अभियुक्त को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अपनी ड्यूटी लगायी गयी पूर्णतया तथ्यों से परे है, और आदरणीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशों पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मेरे द्वारा रिमांड किया गया उस दिन तो कोविड 19 के आलोक में अभियुक्तों को जेल में जाकर अंतरिम जमानत पर छोडने का कोई निर्देश भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया था। इस प्रकार से यह दर्शित होता है कि बहुत ही विचार विमर्श करके इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि बिल्कुल ही निराधार एवं असत्य है। प्रार्थी की ओर से जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है, और कोर्ट मोहर्रिर श्री अश्विनी कुमार के द्वारा रिमांड शीट एवं वारंट पर धाराओं का अंकन नहीं किया गया। सुश्री रूचि तिवारी और सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा कोर्ट मोहर्रिर श्री अश्विनी कुमार की लापरवाही के संबंध में मुझे लिखित में अवगत भी कराया गया है(संलग्नक–6,7) कोविड काल में प्रार्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में समस्त न्यायालयों का कार्य सम्पादित किया है। वर्तमान में मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा0द0स0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कॉधला मे मामले के अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर जिला कारागार में निरूद्ध है।

महोदय उपरोक्त के संबंध में आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा मुझे डी0ओ0 नं0 21/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश /2021 दिनांकित 20.02.21 दिया गया था जिसका प्रार्थी के द्वारा दिनांक 01.03.21 को स्पष्टीकरण भेजा गया गया है। उसकी प्रति संलग्न की जा रही है(संलग्नक– 34)

6. महोदय प्रार्थी पर सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा धारा 457,380 भा0द0स0 में जमानत देने, गोवध अधि0 ने निरूद्ध पशुओं को अभियुक्त के पक्ष में रिलीज करने एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुये बहुत से गलत आदेश पारित करने एवं जूडिशियल ब्लडंर करने का कथन किया है और यह भी कहा है कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय का निहित हित है इसलिये सी0जे0एम0 को कुछ नहीं कहते और सी0जे0एम0 को नजारत प्रभारी बना दिया। महोदय जहॉ तक जमानत देने, पशुओं को रिलीज करने, और जूडिशियल ब्लंडर करने का कथन है इसके संबंध में कोई विशिष्ठ विवरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी अपने न्यायालय का कार्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुये पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करता है। जहॉ तक नजारत का प्रभारी बनाये जाने का प्रश्न है प्रार्थी को भी जो कार्य दिया जाता है उसको प्रार्थी निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है। प्रार्थी पूर्व में भी मई 2017 से लेकर फरवरी 2018 तक नजारत प्रभारी कैराना में रहा है। वर्तमान में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना में पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 02.03.20 को कार्य भार ग्रहण करने पर नजारत का कार्य उनके द्वारा देखा जा रहा है। महोदय यह भी कहना है कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय का प्रार्थी से कोई निहित हित नहीं है। यदि ऐसा होता तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मुझे क्यों दो डी0ओ0 लेटर देते अपितु मेरी शिकायत को अपने आप ही समाप्त कर देते।

महोदय सुश्री मुक्ता त्यागी, सुश्री रूचि तिवारी, एवं आदरणीय श्री रजत वर्मा सर द्वारा मेरे न्यायिक कार्यो पर लंबे समय से नजर रखना यह दर्शाता है कि ये सभी लोग मेरे से ईर्ष्या एवं द्वेषभाव रखते है। जबकि किसी भी अधिकारी के न्यायिक कार्यो पर नजर रखना जूडिशियल ऐटीकेट के विरूद्ध है, क्योंकि उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को मेरे न्यायिक कार्य को पर्यवेक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी कभी भी किसी न्यायिक अधिकारी के न्यायिक कार्य पर न तो नजर रखता है और न ही हस्तक्षेप करता है।

7. महोदय जहॉ तक प्रत्येक माह की बैठक में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त अधिकारियों को अन्य अधिकारियों के समक्ष अपमानित करने का प्रश्न है, बिल्कुल गलत है। मेरे समक्ष कभी भी किसी अधिकारी को अपमानित नहीं किया गया, अपितु जो भी दिशानिर्देश दिये जाते थे, वह सभी के लिये होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई बात नहीं होती थी। मेरे समक्ष कभी किसी अधिकारी को आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपमानित नहीं किया गया, और न ही किसी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समक्ष उपरोक्त अधिकारियों को अपमानित किया गया।

8. जहॉ तक दिनांक 21.12.21 को आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में सी0एल0 न0 2421/एम0ए0एन/एडमिन (ए–3) इलाहाबाद दिनांकित 19.02.2014 के अनुपालन में बैठक आयोजित करने का प्रश्न है उक्त बैठक सुश्री मुक्ता त्यागी प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शामली के द्वारा अपने पत्र दिनांकित 16.12.20के द्वारा आयोजित की गयी थी जिसकी सूचना मुझे पत्र द्वारा दी गयी थी (संलग्नक–35)। उक्त बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्वक वातावरण में हुयी थी। अन्य जो तथ्य मीटिंग के संबंध में लिखे गये हैं बिल्कुल गलत है। सुश्री मुक्ता त्यागी ने कोई विरोध नहीं किया था। प्रार्थी के द्वारा न कोई तथ्य छिपाया गया और न ही बैठक को छोडकर प्रार्थी गया, अपितु बैठक समाप्त होने पर आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा सभी को चाय भी पिलायी गयी।

जहॉ तक दिनांक 21.12.20 की बैठक के बाद तुरंत दिनांक 24.12.20 को मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड शामली की समीक्षा जजशिप शामली के गठित होने के तीन साल में पहली बार त्रैमासिक समीक्षा दुर्भावना से किये जाने का प्रश्न है बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। महोदय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनउ के पत्रांक सं0–7361/जे.जे.सी/2020 लखनउ दिनांकित 09.12.20 के अनुक्रम में सभी जनपदों के सी0जे0एम0 से जे0जे0एक्ट की धारा 16 के प्रावधानों के संबंध में आख्या मांगी गयी थी। मेरे द्वारा कई जनपदों के अपने समकक्ष से इस विषय पर बात की गयी तो बताया गया कि पहले कभी भी इस प्रकार की समीक्षा नहीं की गयी है। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक एवं धारा 16 के उपबंधों के अनुक्रम में दिनांक 14.12.20 को मेरे द्वारा पत्र भेजकर जे0जे0बोर्ड में लंबित सभी प्रकार के मामलों का विवरण दिनांक 15.12.20 तक मांगा गया। मेरे द्वारा दिनांक 24.12.20 को समीक्षा करने के लिये पत्र दिनांक 24.12.20 को प्रेषित किया गया और उसकी प्रति सूचनार्थ आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को भी भेजी गयी। तदोपरांत मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की समीक्षा की गयी (संलग्नक–36,37)

महोदय जहॉ तक बोर्ड की सदस्य श्रीमती ललिता से बोर्ड की बैठक के बारे पूँछे जाने का प्रश्न है, मेरे द्वारा श्रीमती ललिता से यह प्रश्न पूँछा ही नहीं गया था कि बोर्ड की बैठक कहॉ होती है। अपितु यह प्रश्न मैंने बोर्ड में कार्यरत आशुलिपिक सचिन जो कि मुझे दस्तावेजों का अवलोकन करा रहा था, उससे पूँछा था और उसने बताया था कि पहले बोर्ड की बैठकें प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुआ करती थी (संलग्नक–38 समीक्षा का कार्यवृत्त दिनांकित–24.12.20) इस प्रकार से यह बात तथ्यों से परे केवल दुर्भावना वश उल्लिखित की गयी है। प्रार्थी ने जे.जे.बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य श्रीमती ललिता से यह पूँछा था कि क्या मामलों को देखते हुये बोर्ड की बैठके बढायी जानी आवश्यक है तो यह बतया गया कि नहीं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधान मज़िस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पूँछने पर यह भी बताया गया था कि बोर्ड के कार्य दिवसों में मेरे द्वारा अपने न्यायालय के पेशी का कार्य भी किया जाता है। जहॉ तक जे0जे0 बोर्ड के कक्ष में उपस्थित होकर समीक्षा करने का प्रश्न है, चूँकि जे0जे0 बोर्ड के लिये अलग से कोई कार्यालय नहीं और न ही विश्राम कक्ष है इसलिये जे0जे0बोर्ड की बैठक के कक्ष में ही समीक्षा करना पडा। विश्राम कक्ष और कार्यालय के लिये मेरे द्वारा समीक्षा बैठक में पत्राचार करने के लिये निर्देशित भी किया गया था। इस प्रकार से प्राथी ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन और माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक के अनुपालन में जे0जे0बोर्ड की समीक्षा बिना किसी राग द्वेष के किया

था। इसके संबंध में जो भी तथ्य शिकायती प्रार्थना पत्र में लिखे गये है, बिल्कुल गलत है।

महोदय मेरे संबंध में यह कथन किया गया है कि श्रीमती ललिता ने सुश्री मुक्ता त्यागी को बताया कि सी0जे0एम0 शामली से उसका व उसके पति का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल गलत तथ्य है। महोदय इस तथ्य के संबंध में सुश्री मुक्ता त्यागी ने डी0ओ0 सं0 20/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश/2021 के अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 में उल्लेख किया गया है। अन्य तथ्य भी प्रार्थी के बारे में सुश्री मुक्ता त्यागी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित किया है, जिसके संबंध में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्व ारा मुझे डी0ओ0 सं0 21/पी0ए0(एस)जनपद न्यायाधीश/2021 दिया गया और प्रार्थी ने दिनांक 01.03.21 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है (संलग्नक–34)

महोदय जहॉ तक प्रार्थी द्वारा सुश्री सुधा शर्मा को अपमानित करने का कथन किया गया बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। सुश्री सुधा शर्मा ने प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में मेरे न्यायालय में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। जहॉ तक सुश्री सुधा शर्मा द्वारा अपने न्यायालय में अभियुक्त के अभिरक्षा और जमानत के संबंध के प्रकरण में मेरे द्वारा अपमानित करने का कथन किया गया है बिल्कुल गलत है। सुश्री सुधा शर्मा द्वारा कभी भी मुझसे इस बारे में कोई राय नहीं मागी गयी और न ही मैंने उनसे कभी कुछ कहा और न ही उक्त तथ्य मेरे संज्ञान में आया। अपितु एक दिन सुश्री सुधा शर्मा द्वारा आदरणीय जिला जज साहब को बताया गया कि सर मेरे कजिन की डेथ हो गयी है, तब आदरणीय जिला जज साहब ने मुझसे कहा कि सुश्री सुधा से पूॅछ लेना कि उसे किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत तो नहीं है। मेरे पूॅछने पर सुश्री सुधा ने कहा कि नहीं सर घर से भैया आ गये हैं और कोई जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूॅगी। महोदय आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने विश्राम कक्ष में सुश्री सुधा शर्मा का जन्म दिन पता चलने पर सभी अधिकारियों को अपनी ओर से मिष्ठान खिलाया गया और चाय भी पिलायी। महोदय इसके विपरीत सभी तथ्य गलत है। मैंने कभी भी सुश्री सुधा को अपमानित नहीं किया है।

महोदय जहॉ तक मेरे द्वारा देर रात तक रूक कर आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ बैठकर आदरणीय श्री रजत वर्मा सर, सुश्री रूचि तिवारी, और सुश्री मुक्ता त्यागी के न्यायालयों की पत्रावलियों का निरीक्षण करके उनकी गलतियों को ढूॅढकर उनको डी0ओ0 लेटर दिलाने का कथन है, बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। यदि प्रार्थी इतना प्रभावी होता तो फिर आदरणीय जिला जज साहब प्रार्थी को दो डी0ओ0लेटर क्यों देते। महोदय कोविड 19 के कारण 5 जनवरी 2021 तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बहुत सीमित मात्रा में आवश्यक कार्य ही किये जा रहे थे। उसके बाद न्यायालयों में साक्ष्य उल्लिखित करने, एवं अन्य कार्यो को करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ। उपरोक्त के अनुक्रम में न्यायालय में कार्य की अधिकता हो गयी और देर शाम तक प्रार्थी को अपने कार्य को निपटाने के लिये रूकना पडता है। महोदय प्रार्थी को अपने न्यायालय के न्यायिक कार्यो के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्य भी करने होते है। महोदय वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सन् 2005 तक की अपीलों में अपीलांट की मृत्यु होने के संबंध में अनुपालन आख्या मांगी गयी है जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है और प्रार्थी को देर शाम तक रूकना पडता है। महोदय माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों का पोर्टल पर विवरण भरा जा रहा था। जिसके संबंध में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने एक कमेटी बना रखी है और उसी के अनुक्रम में देर शाम तक रूकना पडता था, प्रार्थी ही नहीं अपितु सभी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण रूकते थे। अपितु आदरणीय श्री रजत वर्मा सर भी इस कार्य के लिये कई बार देर शाम तक प्रार्थी के साथ रूके है। महोदय प्रार्थी ने जब कभी किसी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रावली के स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष भेजा जाता था, तब संबंधित न्यायालय के वादलिपिक से पत्रावली मंगाकर देखी जाती थी। मेरे द्व ारा अन्य किसी प्रयोजन के लिये कभी भी कोई पत्रावली नहीं मंगायी गयी और न ही आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को कभी भी आदरणीय श्री रजत वर्मा सर, सुश्री रूचि

तिवारी, और सुश्री मुक्ता त्यागी के न्यायिक कार्यो की कमियों को बताया गया और न ही कभी किसी अधिकारी को डी0ओ0 देने के लिये कहा गया अपितु प्रार्थी को स्वयं ही आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने दो–दो डी0ओ0 लेटर दिया है। इसके विपरीत सभी तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है।

इस प्रकार से प्रार्थी के विरूद्ध जितने भी कथन किये गये वह बिल्कुल गलत है। प्रार्थी ने कभी भी किसी को परेशान, या अपमानित नहीं किया है और न ही कोई अनुशासनहीनता की है और न ही विधिविरूद्ध आदेश पारित करके किसी को लाभ पहुॅचाया है। अपितु प्रार्थी को ही उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया है और झूठे तथ्यों पर प्रार्थी को परेशान करने के लिये शिकायत किया है। प्रार्थी अपने न्यायिक कार्यो को सदैव ही निष्ठापूर्वक, करता है और अपने साथी अधिकारियों के साथ भातृत्व भावना के साथ कार्य करता है। अतः प्रार्थी के आख्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

उपरोक्तानुसार आख्या आदरणीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

12.4.21

(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली

दिनांक–12.04.21

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

संलग्नक - 1

~~Annexure-5 (Pages 1 to 70)~~

प्रेषिका,

मुक्ता त्यागी

न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मु०अ०सं० 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा० दं० सं० थाना कांधला में पीड़िता कु० मंजू के बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त पीड़िता कु० मंजू बोलने व सुनने में असमर्थ है । अतः माननीय महोदय से ससम्मान करबद्ध निवेदन है कि पीड़िता कु० मंजू के बयान अंकित कराने हेतु उचित मार्गदर्शन देने की कृपा करें ।

ससम्मान ।

2/7/19

न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

दिनांक-2-7-19

नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें 2/7/19

(2)

संलग्नक - 2

प्रेषिका,

मुक्ता त्यागी

न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

विषय- मु०अ०सं० 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा० दं० सं० थाना कांधला में पीड़िता कु० मंजू के बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मु०अ०सं० 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा० दं० सं० थाना कांधला में पीड़िता कु० मंजू के बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय से मार्गदर्शन याचित किया गया था जिस पर माननीय महोदय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे । किन्तु माननीय महोदय द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में उल्लिखित नहीं किया गया था । अतः माननीय महोदय से ससम्मान करबद्ध निवेदन है कि नियमानुसार कार्यवाही किस प्रकार की जाये विस्तृत रूप में बताने की कृपा करें ।

ससम्मान ।

3/7/19

न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

दिनांक-3-7-19

(14)

संलग्नक-3

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रेषिती,

सुश्री मुक्ता त्यागी,
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

विषय- आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 03-07-19 के स्पष्टीकरण के सम्बंध में।

आपको अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा मु.अ.सं. 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा.द.सं. थाना कांधला में पीड़िता कुमारी मंजू का बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. अंकित कराये जाने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया है और बयान दर्ज करने की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी चाही गयी है। उपरोक्त के सम्बंध में आप से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण वांछित है-

1- आपके द्वारा पत्र में जिस पीड़िता के बयान दर्ज करने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया है वह थाना कांधला से सम्बंधित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 26-04-19 के अनुसार थाना कांधला के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को प्राप्त है। जिसमें वर्तमान में आप पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त है। किन परिस्थितियों में आपके द्वारा अपने ही थाने के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान दर्ज किये जा रहे हैं।

2- यह भी बताने का कष्ट करें कि किन उपबन्धों के अंतर्गत आपके द्वारा मुझसे मार्गदर्शन चाहा गया है जबकि द.प्र.सं. की धारा 164 में पीड़िता के बयान दर्ज करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

3- यह भी बताने का कष्ट करें कि विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. आपके न्यायालय में लम्बित है अथवा नहीं।

उपरोक्त के सम्बंध में दो दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे कि माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को भी समस्त तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

4/7/19

दिनांक-04-07-19

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

संलग्नक - 4

15

From:- Mukta Tyagi
Civil Judge (Jr. Div.)
Shamli

To:-

Hon'ble CJM
Shamli

Subject:- Regarding the recording of statement u/s- 164 crpc in case crime no. 211/19 u/s 452, 354, 323, 504, 506 ipc, Ps Kandhla.

Respected Sir.

Following explanation is humbly submitted in persuance of the direction/explanation sought by you regarding the above captioned subject:-

1- I.O. in the case crime no. 211/19 had forwarded an application for recording the statement u /s- 164 crpc of the victim before the court of Civil Judge (Jr. Div.) Shamli, and it was duly forwarded by me to the link officer. The link officer had marked it to ACJM. Kairana for recording the statement u/s- 164 crpc of the victim then after it was brought to my knowledge by ACJM Kairana that the victim is a dumb girl and she was not able to speak anything.

Then I.O. has forwarded an application as to the recording of statement u/s 164 crpc of the dumb girl, in which with utmost regard I have requested to Hon'ble CJM, Shamli to provide the guidance and procedure by which I can dispose off the application lawfully.

2- It is humbly submitted that although there is complete procedure given u/s- 164 crpc regarding the recording of Statement of victim however there is no procedure provided as to the process of recording of Statement of deaf and dumb victim.

Further we were being taught and traind in Judicial Training & Research Institute, U.P that CJM is the head of magistrate's and magistrate can seek guidance and direction from CJM if they are stuck somewhere.

3- It is humbly submitted that the application of recording the Statement u/s- 164 crpc is shill pending before the court of Civil Judge (Jr. Div.) because the victim is dumb & deaf and still no Clear directions/ guidance was obtained from Hon'ble CJM due to which the delay is being caused in disposing the application.

The above explanation is being duly forwarded to the Hon'ble CJM, Shamli

With utmost Regard's

your's faithfully

6/7/19

Mukta Tyagi
Civil Judge (Jr. Div)
Shamli

Date- 06-07-2019

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

प्रेषिती,

सुश्री मुक्ता त्यागी,

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

शामली।

विषय- आपके पत्र दिनांकित 03-07-19 एवं स्पष्टीकरण दिनांकित 6-7-19 जो कि मु.अ.सं. 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा.द.सं. थाना कांधला में पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. से सम्बंधित है।

महोदया,

अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांकित 02-07-19 के द्वारा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. उपरोक्त मामले में दर्ज करने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया था जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये पृष्ठांकन किय गया था। पुनः आपने पत्र द्वारा दिनांक 03-07-19 के द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी गयी थी। जिसके सम्बंध में आपसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आपके द्वारा पत्र में जिस पीड़िता के बयान दर्ज करने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया है वह थाना कांधला से सम्बंधित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 26-04-19 के अनुसार थाना कांधला के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को प्राप्त है। जिसमें वर्तमान में आप पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त है। किन परिस्थितियों में आपके द्वारा अपने ही थाने के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान दर्ज किये जा रहे हैं, यह भी बताने का कष्ट करें कि किन उपबन्धों के अंतर्गत आपके द्वारा मुझसे मार्गदर्शन चाहा गया है जबकि द.प्र.सं. की धारा 164 में पीड़िता के बयान दर्ज करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है तथा यह भी बताने का कष्ट करें कि विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. आपके न्यायालय में लम्बित है अथवा नहीं।

आपके स्पष्टीकरण के अनुसार पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिये आपके द्वारा लिंक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का आदेश किया गया है और लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय ए.सी.जे.एम. कैराना को बयान दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु न्यायालय ए.सी.जे.एम. कैराना द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश पारित किया गया या नहीं इसका उल्लेख आपके स्पष्टीकरण में नहीं है और न ही इस तथ्य का उल्लेख है कि न्यायालय ए.सी.जे.एम. कैराना द्वारा आपसे पीड़िता के बयान दर्ज करने के सम्बध में कोई लिखित पत्राचार किया गया है। न्यायालय एस.सी.जे.एम., कैराना के द्वारा प्रार्थनापत्र उचित आदेश पारित करने के लिये आपके पास भेजा गया या नहीं इसका भी कोई उल्लेख आपने नहीं किया है।

आपके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि विवेचक द्वारा आपके समक्ष एक प्रार्थनापत्र मूक एवं बधिर पीड़िता के बयान के लिये दिया गया, किन्तु उस प्रार्थनापत्र पर आपके द्वारा पीड़िता को देखकर उसके मूक व बधिर होने के सम्बंध में कोई आदेश पारित किया गया है या नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। विवेचक द्वारा आपके समक्ष जो प्रार्थनापत्र दिय गया है उसकी कोई प्रति भी नहीं प्रस्तुत की गयी है।

आपके द्वारा मुझसे मार्गदर्शन चाहा गया है, किन्तु आपको किस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है आपके

(8)

पत्र में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है जबकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से आशक्त व्यक्तियों के लिये धारा 164 (5) द.प्र.सं. में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी विधि व्यवस्थाओं में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जे.टी.आर.आई. में भी प्रशिक्षण के दौरान धारा 164 द.प्र.सं. का बयान अंकित करने के सम्बंध में न्यायिक अधिकारियों को बताया जाता है।

आपके स्पष्टीकरण से दर्शित होता है कि आपके द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थनापत्र आपके न्यायालय में लम्बित है। इस सम्बंध में दिनांक 11-07-19 को मासिक बैठक में भी चर्चा की गयी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

अतः विधि के उपबन्धों के अनुसार यथाशीघ्र आप प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. का निस्तारण करे।

17/7/19

दिनांक-17-07-19

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

18-7-19

सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली।

(18)

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली।

विषय- दिनांक 1-9-2020 व दिनांक 2-9-2020 को वी०सी० से होने वाली नियमित रिमाण्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

सम्मान निवेदन है कि दिनांक 3-9-2020 को सिविल जज (सी०डि०), कैराना / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना द्वारा अधोहस्ताक्षरि को अवगत कराया गया कि दिनांक 1-9-2020 व 2-9-2020 को द्वारा वी०सी० होने वाली नियमित रिमाण्ड के समय न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) मे तैनात कोर्ट मोहर्रिर विकास पंवार व अश्वनी कुमार के अनुपस्थित होने कारण द्वारा वी०सी० रिमाण्ड नहीं हो सकी। अतः महोदय से निवेदन है कि थाना कांधला की उक्त तिथियों की रिमाण्ड के सम्बन्ध मे आवश्यक दिशानिर्देश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 8-9-2020

भवदीया
8/9/2020
(मुक्ता त्यागी)
सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली।

...तिवारी
सिविल जज (सी०डि०)/ACJM कैराना

संलग्नक 7

(19)

श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली

...दि० 01.09.20 तथा 02.09.20 को V.C से होने वाली
नियमित रिमाण्ड के संबंध में
—————, —————, —————, —————, —————, ——

...माननीय महोदय,

सविनम्र निवेदन है कि श्रीमान् मुख्य न्यायिक
...मजिस्ट्रेट के आदेश दि० 31.08.20 के अनुपालन में मेरी
...ण्ड ड्यूटी दि० 01.09.20 से 15.09.20 तक नियत हुई है। प्रार्थना
...जेल के नियमित रिमाण्ड जो कि 31.08.20 को नियत थे,
... कारागार से उपरोक्त रिमाण्ड के वारंट न प्राप्त होने
...कारण न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), शामली द्वारा उनकी
...दि० 01.09.20 तथा 02.09.20 के लिए की गयी। दि०
...20 तथा 02.09.20 को कोविड-19 के कारण न्यायालय
...सेनेटाइजेशन हेतु बंद था। दि० 01.09.20 तथा 02.09.20 को
...न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), शामली में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर
...कुमार तथा श्री अश्वनी कुमार सूचना देने के उपरान्त
...नियमित रिमाण्ड कराने हेतु उपस्थित नहीं आने के
...कारण दि० 01.09.20 तथा 02.09.20 को नियत उपरोक्त
...नहीं हो सके। अतः उपरोक्त पत्र माननीय महोदय
...सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया
...जा रहा है।

सादर

...09.20

नवदीप
03.09.20
श्री... तिवारी
(सी०डि०)/ACJM कैराना
ACJM को...

प्रति,
...जज (जू०डि०), शामली

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रेषिती,

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
जनपद, शामली।

विषय– दिनांक 01–09–2020 को एवं दिनांक 02–09–2020 का वी.सी. से होने वाले नियमित रिमाण्ड के सम्बंध में।

महोदया,

आपका पत्र दिनांकित 08–09–2020 मुझे शाम छः बजे के बाद प्राप्त हुआ जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया, जिसमें कथन किया गया है कि दिनांक 01–09–2020 एवं दिनांक 02–09–2020 को वी.सी. से होने वाले नियमित रिमाण्ड के सम्बंध में न्यायालय में तैनात कोर्ट मोहर्रिर श्री विकास कुमार एवं श्री अश्वनी कुमार की अनुपस्थित के कारण रिमाण्ड नहीं हो सका।

अतः थाना कांधला से सम्बंधित दिनांक 01–09–2020 एवं दिनांक 02–09–2020 के रिमाण्ड के सम्बंध में दिशा–निर्देश देने की प्रार्थना की गयी है।

आपके पत्र का अवलोकन किया। दिनांक 01–09–2020 एवं दिनांक 02–09–2020 को न्यायालय परिसर में कोरोना मरीज पाये जाने के कारण न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के आदेश से बन्द किया गया था। आपको यह भी अवगत कराना है कि इसके पूर्व भी कोरोना मरीज मिलने के कारण दिनांक 27–07–2020 एवं दिनांक 28–07–2020 एवं दिनांक 28–08–2020 एवं दिनांक 29–08–2020 को आकस्मिक परिस्थितियों में न्यायालय बन्द किया गया था। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि उक्त तिथियों को आपके द्वारा धारा 167 द.प्र.सं के अंतर्गत निरूद्ध बंदियों का रिमाण्ड कार्य किस प्रकार निष्पादित किया गया। सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम. कैराना द्वारा अपने वाद लिपिक श्री अतुल कुमार द्वारा दिनांक 04–09–2020 को मेरे आशुलिपिक श्री दिनेश कुमार के मोबाईल पर यह प्रार्थनापत्र प्रेषित करवाया गया था कि कोर्ट मोहर्रिर श्री विकास कुमार एवं श्री अश्वनी कुमार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया था और उसी दिन आपको भी पत्र प्रेषित करने का उल्लेख उस पत्र में किया गया है। उक्त पत्र में रिमाण्ड के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। मात्र कोर्ट मोहर्रिर के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही गयी है। जबकि दिनांक 07–09–2020 एवं दिनांक 08–09–2020 को न्यायालय खुला था और मुझे इस सम्बंध में दिनांक 08–09–2020 को शाम को छः बजे के बाद अवगत कराया गया था। यह भी बताने की कष्ट करें कि दिनांक 01–09–2020 एवं दिनांक 02–09–2020 को जितने रिमाण्ड नियत थे क्या उन्हें अग्रिम तिथि पर कोर्ट मोहर्रिर द्वारा आपके समक्ष उचित आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था या नहीं। उपरोक्त के सम्बंध में आज दोपहर दो बजे तक अवगत कराने का कष्ट करें जिससे रिमाण्ड के सम्बंध में उचित आदेश पारित किया जा सके।

9/9/20

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

दिनांक 09–09–2020

संलग्नक - 1

(20)

मासिक बैठक दिनांक 11.07.2019 का कार्यवृत

आज दिनांक 11.07.2019 को अपराह्न 04:00 बजे समस्त न्यायिक अधिकारीगण की मासिक बैठक अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में आयोजित की गयी।
मासिक बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित आये-

1. श्री रजत वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना।
2. श्री सिद्धार्थ वाघव, सिविल जज सी0डि0, कैराना।
3. श्री राजमंगल सिंह यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
4. श्री रजनीश मोहन वर्मा, सिविल जज, सी0डि0, शामली, स्थित कैराना।
5. सुश्री रुचि तिवारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना।
6. सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जू0डि0, शामली।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, जिला शामली, एवं श्री सुबोध सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कोर्ट अवकाश पर होने के कारण मासिक बैठक में शामिल नहीं हो सके।

1. सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समयबद्धता (Punctuality) का विशेष ध्यान रखें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रातः 10.00 बजे तक अपने विश्राम कक्ष में उपस्थित होने के पश्चात समय 10.30 ए.एम. व 02.00 पी.एम. पर निर्धारित वेशभूषा में न्यायालय कक्ष में बैठना सुनिश्चित करें।

2. सभी मासिक विवरण व अन्य विवरण जो भी माननीय उच्च न्यायालय अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित किये जाने हों, उन्हें कम्प्यूटर से टाईप कराकर समय से भेजना सुनिश्चित करें। हस्तलिखित एवं अस्पष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित न करने के लिए अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देशित करना सुनिश्चित करे, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त विवरण समय से प्रेषित किया जा सके।

3. सभी न्यायिक अधिकारी अपने यहाँ के लम्बित मामलों को एन.जे.डी.जी. (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड) पर दर्शाना सुनिश्चित करें और प्रत्येक वाद में तिथि नियत कर उसे आगे फावर्ड करते रहें। नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से मॉनिटरिंग करते हुए पत्रावलियों की सही ढंग से फीडिंग व फार्वडिंग कराना सुनिश्चित करे तथा प्रतिदिन की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने न्यायालयों में यह सुनिश्चित करे कि किसी भी पत्रावली में गलत तिथि सी0आई0एस0 पर दर्ज न की गयी हो।

4 फीडिंग फॉरवर्डिंग के संबंध में नोडल अधिकारी कम्प्यूटर के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के निर्देशन

में दिन–प्रतिदिन की मॉनीटरिंग की जा रही है। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर के द्वारा बताया गया कि बी0एस0एन0एल0 लीज लाइन एवं बी0एस0एन0एल0 की सेवाएं पूर्णतया बाधित हो जाने के कारण इण्टरनेट की सेवा नहीं मिल पा रही है। फलस्वरूप सर्वर से डाटा NGDG पर दिन–प्रतिदिन अपलोड करने मे एवं डाटा सिंकोनाईज करने में परेशानी आ रही है। जिस कारण से न्यायालयों में पत्रावलियों के फॉरवर्ड होने के बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सही विवरण नहीं पहुंच पा रहा है। इस सन्दर्भ में सिस्टम ऑफिसर के द्वारा बी0एस0एन0एल से आवश्यक पत्राचार भी किए गए हैं। नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वे बी0एस0एन0एल0 के संबंधित कर्मचारियों से वार्ता कर उक्त बाधा को अतिशीघ्र दूर कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।

5. सभी न्यायिक अधिकारियों से माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 28/मीडिएशन/अधीनस्थ न्यायालय/इलाहाबाद/2019 दिनांकित 01 जून 2019 पर चर्चा की गई। अभी जजशिप शामली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन न हो पाने के कारण, मीडिएशन सेन्टर का गठन नहीं हुआ है। इस सम्बंध में शासन स्तर से आवश्यक प्रयास किये जा रहे है और जल्द ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली के गठन होने की सम्भावना है। अतः सभी न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिएशन सेन्टर को सन्दर्भित की जा सकने वाली पत्रावलियों को चिन्हित करने का प्रयास करे।

6. सभी न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने–अपने न्यायालय में अनुरक्षित स्याह रजिस्टर (रजिस्टर नं0 103) का समय–समय पर निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। अभी भी यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रार्थना पत्रों पर लगने वाले टिकटों को संबंधित कर्मचारीगण द्वारा सही से निरस्त एवं पंच नहीं किया जा रहा है। सभी न्यायिक अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करे कि सभी टिकट सही ढंग से निरस्त व पंच किये गये हों।

7. जजशिप शामली के सभी न्यायालयों में प्रत्येक प्रकार के गुण–दोष के आधार पर निर्णीत वादों के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया। सभी न्यायालयों से प्राप्त विवरण प्रपत्र माह जून, 2019, के अनुसार गुण–दोष के आधार पर निर्णीत वाद निम्नलिखित है:–

(a) प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शामली के न्यायालय में कोई वाद गुण–दोष के आधार पर निर्णीत नहीं किये गये है।

(b) अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कैराना, जिला शामली के न्यायालय में कोंई भी वाद गुण दोष के आधार पर निर्णित नहीं किए गए हैं।

(c) अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 शामली स्थित कैराना, के न्यायालय में कोई वाद गुण–दोष के आधार पर निर्णीत नहीं किया गया है।

(22)

(d) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 4 वाद गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये गये है।

(e) सिविल जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में गुण–दोष के आधार पर 2 वाद निर्णीत किये गये है।

(f) सिविल जज सी0डि0, कैराना के न्यायालय में 10 वाद वाद गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये गये है।

(g) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 6 वाद गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये गये है।

(h) सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 4 वाद वाद गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किया गया है।

8. सभी पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे प्राचीन वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें और इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी समस्त परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। सभी न्यायिक अधिकारीगण यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक संख्या में गुण–दोष के आधार पर वादों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाये, जिससे कि लम्बित वादों की संख्या में कमी हो सके। साथ ही संस्थित वाद व निस्तारित वादों का अनुपात किसी भी परिस्थिति में कम न हो।

9. बैठक में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं0 11242/Admin.E-II, dated:Allahabad:16-09-2017 फौजदारी एवं दीवानी के लम्बित प्राचीन वादों को शून्य किये जाने के सम्बंध में माननीय कमेटी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत एक्शन प्लान के कार्यान्वयन/अनुपालन के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया। सभी न्यायालयों से प्राप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

परिवार न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 02 वाद लम्बित है एवं वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के सिविल वाद 743 व भरण–पोषण के 342 वाद लम्बित है। परन्तु माह जून में कोई भी वाद निर्णित नहीं हुआ है।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 36 फौजदारी वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में एक्शन प्लान के तहत कोई वाद निस्तारित नहीं किया गया है। तथा वर्ष 2001 से 2019 तक के 33 सिविल वाद तथा 4473 फौजदारी वाद लम्बित है, माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक कोई भी वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, शामली स्थित कैराना के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 03 सिविल वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में एक्शन प्लान के तहत कोई वाद निस्तारित नहीं किया गया है। माह मई 2019 में वर्ष 2001 से 2019 तक के 50

सिविल वाद तथा 516 फौजदारी वाद लम्बित है, परन्तु कोई भी वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 510 वाद लम्बित है, माह जून 2019 में 01 वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित किया गया है। वर्ष 2001 से 2019 तक के 9737 वाद लम्बित है। माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के 33 वाद निस्तारित किये गये हैं।

सिविल जज सी0डि0, शामली के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 75 सिविल वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में कोई भी वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया गया है और वर्ष 2001 से 2019 तक के 1596 सिविल वाद तथा 1017 फौजदारी वाद लम्बित है। माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के 12 फौजदारी वाद निस्तारित किये गये है।

सिविल जज सी0डि0, कैराना के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 27 सिविल वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में कोई भी वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया गया है। वर्ष 2001 से 2019 तक के 747 सिविल वाद लम्बित है। माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के 10 फौजदारी वाद निस्तारित किये गये है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 89 फौजदारी वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में कोई भी वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया गया है। वर्ष 2001 से 2019 तक के 9028 वाद लम्बित है। माह जून 2019 वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक का 61 वाद निस्तारित हुआ है।

सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 138 सिविल वाद एवं 115 फौजदारी वाद लम्बित है। माह जून 2019 में एक्शन प्लान के अन्तर्गत कोई भी वाद निस्तारित नहीं किये गये है। वर्ष 2001 से 2019 तक के 1035 सिविल वाद तथा 4744 फौजदारी वाद लम्बित है। माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के 22 फौजदारी वाद निस्तारित किये गये है।

समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे एक्शन प्लान के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

10. सभी न्यायालयों से दस प्राचीनतम वादों से संबंधित प्राप्त कराई गई सूची के अनुसार

अपर जनपद न्यायाधीश कैराना के न्यायालय में वर्ष 1984 का सत्र परीक्षणीय वाद राज्य बनाम विजय सिंह तथा वर्ष 1990 का वाद राज्य बनाम अनिल विचाराधीन है।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 के न्यायालय में वर्ष 1998 के 2 वाद ब्रह्म सिंह बनाम सुखपाल एवं रामनाथ बनाम घनश्याम विचाराधीन है।

न्यायालय सिविल जज सी0डि0 कैराना में वर्ष 1997 का वाद राजेन्द्र बनाम ईश्वर तथा

(12)
(23)

वर्ष 2000 का वाद मीरहसन बनाम फीको विचाराधीन है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में वर्ष 1991 के 2 वाद राज्य बनाम चरणसिंह तथा राज्य बनाम जिन्द्रो विचाराधीन है।

सिविल जज सी0डि0 शामली के न्यायालय में वर्ष 1995 का 2 वाद सुनील बनाम सुशीला तथा वर्ष 1999 का वाद सोहनवीर बनाम नीरज विचाराधीन हैं।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय में वर्ष 1990 का 2 वाद राज्य बनाम कृष्णपाल तथा राज्य बनाम अता मोहम्मद विचाराधीन है।

सिविल जज जू0डि0 शामली के न्यायालय में वर्ष 1989 के 2 वाद विजय सिंह बनाम मुरारी लाल वाद संख्या 152 एवं वाद संख्या 153 विचाराधीन है।

सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त वादों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

11. सभी न्यायालयों से निर्णीत पत्रावलियों के अभिलेखागार में प्रेषित किये जाने के बाबत समीक्षा की गयी।

परिवार न्यायालय शामली में कोई भी वाद निस्तारित नहीं होने के कारण निर्णीत पत्रावली अभिलेखागार में प्रेषित नहीं की गयी।

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कैराना–शामली का माह मई तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, शामली में कोई भी वाद निस्तारित न होने के कारण निर्णीत पत्रावली अभिलेखागार प्रेषित नहीं की गयी।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली का माह मई तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

न्यायालय सिविल जज सी0डि0, शामली का माह मई 2019 तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

न्यायालय सिविल जज सी0डि0, कैराना का माह मई 2019 तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से प्राप्त विवरण के अनुसार किसी भी नीर्णित पत्रावली को अभिलेखागार प्रेषित नहीं किया गया।

न्यायालय सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली का माह मई 2019 तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

इस प्रकार सभी न्यायालयों से प्राप्त विवरण के अनुसार निर्णीत पत्रावलियों के अभिलेखागार में दाखिल करने की स्थिति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना को छोड़कर

(8)

सन्तोषजनक है। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे निस्तारित वादों की पत्रावलियों को प्रत्येक माह समय से अभिलेखागार प्रेषित कराया जाना सुनिश्चत करे।

12. समस्त न्यायिक अधिकारीगण के समक्ष लम्बित विभागीय जॉच के सम्बंध में चर्चा की गयी तो सिविल जज (सी0डि0) कैराना के समक्ष एक जॉच लम्बित है। अन्य किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष कोई विभागीय जॉच लम्बित नहीं है। सिविल जज (सी0डि0) कैराना को निर्देशित किया गया कि उक्त जॉच के सम्बंध में त्वरित गति से कार्यवाही कर अपनी आख्या प्रेषित करे।

13. सभी न्यायालयों में माह जून 2019 में परीक्षित साक्षियों की संख्या एवं बयानों से प्राप्त धनराशि के सम्बंध में चर्चा की गयी।

परिवार न्यायालय, शामली न्यायालय में 2 साक्षी परिक्षित हुए एवं बयानों से 20 रूपये की आय प्राप्त हुई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना के न्यायालय में 22 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रूपये 220.00 आय प्राप्त हुई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, शामली के न्यायालय में 18 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रूपये 180.00 आय प्राप्त हुई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 26 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रूपये 260.00 आय प्राप्त हुई।

सिविल जज (सी0डि0) शामली/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 14 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रूपये 140.00 आय प्राप्त हुई।

सिविल जज सी0डि0, कैराना के न्यायालय में 16 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रूपये 200.00 आय प्राप्त हुई।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 16 साक्षी परीक्षित हुआ तथा बयानों से रूपये 160.00 की आय प्राप्त हुई।

सिविल जज, जू0डि0, शामली/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 30 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रूपये 300.00 आय प्राप्त हुई।

सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी साक्षी जो न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होता है, उसका साक्ष्य उसी दिन अवश्य लेखबद्ध हो।

14. बैठक में सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित एवं सुपुर्द किये गये वादों के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के न्यायालय में माह जून 2019 में कुल 305 वाद सत्र सुपुर्दगी

हेतु लम्बित रहे, जबकि जून 2019 में 25 वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये है।
सिविल जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में माह जून 2019 में कुल 8 वाद सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित रहे, जबकि जून 2019 में 05 वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में माह जून 2019 में कुल 95 वाद सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित रहे, जबकि माह जून 2019 में 14 वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये।

सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में माह जून 2019 में कुल 37 वाद सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित रहे, जबकि जून 2019 में 07 वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये है।

इस प्रकार सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित वादों की संख्या अत्यधिक है। अतः सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों, को निर्देशित किया गया कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने न्यायालयों में लम्बित सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय वादों को सत्र न्यायालय को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। यदि पत्रावली हाजिरी में हो तो प्रोसेस जारी कर तामीला कराना एवं शीघ्रातिशीघ्र मामले को सत्र न्यायालय सुपुर्द करना सुनिशिचित करें। यदि किसी मामले में कुछ अभियुक्तगण उपस्थित आ रहे हों और शेष अभियुक्तगण की हाजिरी सुनिश्चित नहीं हो पा रहीं हो या फरार चल रहे हों, तो ऐसे मामलों में हाजिर अभियुक्तगण की पत्रावलियों को पृथक कर सत्र न्यायालय सुपुर्द करना सुनिश्चित करें, जिससे उनके मामले का निस्तारण शीघ्र हो सके।

सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय ऐसे वाद जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हो, आरोप पत्र प्राप्त होने के उपरान्त धारा 207 द0प्र0सं0 का अनुपालन त्वरित गति से करते हुए बिना किसी विलम्ब के मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

न्यायिक अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई कि वे सत्र न्यायालय सुपुर्द करते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्तगण जमानत पर है, उनमें जमानत सम्बंधी समस्त प्रपत्र व बंधपत्र आदि पत्रावली में संलग्न हो। साथ ही यदि किसी मामले में दौरान विवेचना 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया है, तो उक्त बयान सील कवर में पत्रावली के साथ सत्र न्यायालय के रीडर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

15. सभी न्यायालय में विचाराधीन बन्दियों के सम्बंध में चर्चा की गयी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना–शामली के न्यायालय में विचारधीन बंदियों के 91 मामले लंबित हैं जिनमें से दो वर्ष से अधिक समय से निरूद्ध बंदियों की संख्या 57 है। किसी भी विचाराधीन बन्दी से संबंधित किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, शामली के न्यायालय में 82 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से दो वर्ष से अधिक समय से कोई भी बंदी जेल में निरूद्ध नहीं हैं। किसी भी विचाराधीन बन्दी से संबंधित किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 89 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से 12 अभियुक्त दो वर्ष से अधिक समय से जेल में निरूद्ध हैं। 27 बंदियों के विचाराधीन वादों का निस्तारण किया गया। जिनमें से 3 वाद ऐसे निस्तारित किये गये जिनमें अभियुक्त दो वर्ष से अधिक समय से जेल में निरूद्ध है।

सिविल जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय मे 23 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से जेल में निरूद्ध 1 विचाराधीन बंदी के वाद का निस्तारण किया गया है। दो वर्ष से अधिक समय से जेल में निरूद्ध बंदी का कोई भी वाद इस न्यायालय में लंबित नहीं है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 72 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से दो वर्ष से अधिक समय तक के कितने अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध हैं एवं कितने वादों का निस्तारण हुआ अथवा नहीं, का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 27 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से चार अभियुक्त दो वर्ष से अधिक समय से जिला कारागार में निरूद्ध हैं प्राप्त विवरण के अनुसार किसी भी विचारधीन बंदी के किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया। विचाराधीन बन्दियों की संख्या अत्यधिक है। अतः सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे विचारीधीन बन्दियों के वादों में विशेष रूचि लेते हुए साक्षियों को तलब कर त्वरित गति से धारा 309 द0प्र0सं0 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ऐसे वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही धारा 436ए द0प्र0सं0 से आक्षादित मामलों में उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

16. माह जून 2019 में निस्तारित निष्पादन वादों के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना के न्यायालय में 01 निष्पादन वाद लम्बित हैं। माह जून 2019 में कोई निष्पादन वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

सिविल जज, सी0डि0, शामली के न्यायालय में 73 मूल निष्पादन वाद तथा 11 लघु निष्पादन वाद लम्बित है। परन्तु माह जून 2019 में कोई भी निष्पादन वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

सिविल जज, सी0डि0, कैराना के के न्यायालय में 34 निष्पादन वाद लम्बित है। परन्तु माह जून 2019 में कोई भी निष्पादन वाद निस्तारित नहीं हुआ है ।

सिविल जज, जू0डि0, शामली के द्वारा माह जून 2019 में 66 निष्पादन वाद लम्बित है।

(14) (25)

परन्तु माह जून 2019 में कोई भी निष्पादन वाद निस्तारित नहीं हुआ है ।

लम्बित निष्पादन वादों की संख्या को देखते हुए यह आपत्तिजनक है। सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे विशेष रूचि लेते हुए निष्पादन वादों का त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

17. समस्त न्यायिक अधिकारीगण के समक्ष 7 वर्ष से अधिक पुराने वादों के लम्बन एवं निस्तारण के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया, जिनका विवरण निम्न हैः–

i. परिवार न्यायालय शामली में कोई भी वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित नहीं है।

ii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना, शामली के न्यायालय में 545 वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है, जबकि इन प्राचीन वादों में किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया।

iii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 के न्यायालय में 88 वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है, जबकि इन प्राचीन वादों में किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया।

iv. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 3104 वाद जो 7 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है, इन प्राचीन वादों में से 01 वाद निस्तारित किया गया है।

v. सिविल जज, सी0डि0, शामली के न्यायालय में 401 सिविल एवं 234 फौजदारी वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित है जबकि इन प्राचीन वादों में किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया है।

vi. सिविल जज, सी0डि0, कैराना के न्यायालय में 130 वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं जबकि इन प्राचीन वादों में से कोई भी वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

vii. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना जिला शामली के न्यायालय में 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का विवरण प्राप्त नहीं कराया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं एवं इनमें से कितने वादों का निस्तारण किया गया है।

viii. सिविल जज, जू0डि0, शामली के न्यायालय में 433 सिविल वाद व 2049 फौजदारी वाद लम्बित है, जबकि इन प्राचीन वादों में से 04 फौजदारी वाद निस्तारित किये गये है।

सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्राचीन वादों की सूची बनाकर उन्हें रूचि लेकर निस्तारित करना सुनिश्चित करे।

18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रों के समक्ष लम्बित एवं निस्तारित 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के सम्बंध में विचार–विमर्श किया गया। प्राप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 76 प्रार्थना अन्तर्गत 156(3) द0प्र0सं0 वर्तमान में लम्बित है, माह जून 2019 में 9 प्रार्थना पत्र संस्थित हुए तथा 2 प्रार्थना पत्रों का

निस्तारण किया गया है।

सिविल जज, सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में कोई प्रार्थना अन्तर्गत 156(3) द0प्र0सं0 वर्तमान में लम्बित नहीं है, माह जून 2019 में 02 प्रार्थना पत्र संस्थित हुए एवं 02 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 32 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 156(3) द0प्र0सं0 वर्तमान में लम्बित है, माह जून 2019 में 20 प्रार्थना पत्र संस्थित हुए तथा 11 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है।

सिविल जज, जू0डि0, शामली/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 8 प्रार्थना अन्तर्गत 156(3) द0प्र0सं0 वर्तमान में लम्बित है, माह जून 2019 में 5 प्रार्थना पत्र संस्थित हुए तथा 01 प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है।

सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करना सुनिशिचित करें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0, के सम्बंध में सम्बंधित थाने से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त उसका त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस प्रकार के प्रार्थना पत्र अत्यधिक समय तक बिना आदेश के लम्बित न रहे।

19. यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त इसे समय से न्यायालय में प्राप्त नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त धारा 157 द0प्र0सं0 के प्रावधान के अनुसार अविलम्ब उसकी प्रति सम्बंधित न्यायालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि वे इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक शामली से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त दर्ज होने की तिथि पर या दूसरे दिन तक सम्बंधित न्यायालय में अवश्य प्राप्त हो। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

20. सभी न्यायालयों के अर्थदण्ड वसूली के विवरण पर विचार विमर्श किया गया तथा सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने न्यायालयों में अनुरक्षित अर्थदण्ड पंजिका के अनुसार जमा धनराशि का समय से कोषागार से सत्यापन करायें तथा अर्थदण्ड पंजिका का सामान्य नियम दाण्डिक में दिये प्रारूप के अनुसार अनुरक्षण सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में पीठासीन अधिकारी स्वयं के हस्तलेख में प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे मामलों में जिनमें कि अर्थदण्ड की वसूली अपीलीय न्यायालय से स्थगित है, सम्बंधित अपीलीय न्यायालय से अपील के निस्तारण व अर्थदण्ड के स्थगन की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर अर्थदण्ड की वसूली करना

(26)

सुनिश्चित करे तथा नियमानुसार अर्थदण्ड पंजिका में उसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

21. सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड वादों की संख्या एवं समस्त वादों के अपलोड होने की स्थिति के सम्बंध में विचार–विमर्श किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

परिवार न्यायालय, शामली के न्यायालय 1145 वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है एवं न्यायालय में लंबित वादों की संख्या भी 1145 है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना के न्यायालय में 4525 वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 4521 है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 शामली के न्यायालय में कम्प्यूटर एवं सी0आई0एस0 33 वाद अपलोड हैं जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 519 है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 12209 वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 10760 है।

सिविल जज़, सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 1824 सिविल वाद एवं 2108 फौजदारी वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 1671 सिविल वाद एवं 1017 फौजदारी वाद है।

सिविल जज सी0डि0, कैराना के न्यायालय में 762 सिविल वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड हैं। न्यायालय में लंबित वादों की संख्या भी 762 हैं।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय से माह जून 2019 में सी0आई0एस0 सॉफटवेयर पर अपलोड किये गये वादों की संख्या 2501 है। जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 9141 है पीठासीन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में अन्य न्यायालयों से स्थानान्तरित होकर पत्रावलियॉ प्राप्त करायी जा रही है, क्योंकि यह न्यायालय पिछले कई माह तके रिक्त रहा है। स्थानान्तरित होने वाली पत्रावलियों में सर्वर से स्थानान्तरण तकनीकी कारणों से न हो पाने के कारण इन पत्रावलियों का विवरण नये सिरे से सी0आई0एस0 पर अपलोड किया जा रहा है।

सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 1098 सिविल वाद एवं 4141 फौजदारी वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है। जबकि न्यायालय में लंबित सिविल वाद 1173 एवं फौजदारी वाद 4859 है।

सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सी.आई.एस सॉफ्टवेयर पर अपलोड वाद एवं न्यायालय में लंबित वास्तविक वादों के अन्तर को समाप्त करना सुनिश्चित करें।

22. सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 312/XXII-CPC/e-Courts/Allahabad Dated 03 June 2019 के द्वारा शख्त शब्दों यह निर्देशित किया गया है कि सी0आई0एस0 पर व नेशनल डेटा ग्रिड पर पत्रावलियों

में दर्शित तिथि व सम्बंधित वाद में नियत वास्तविक तिथि में भिन्नता पाये जाने पर एवं अन्य कोई भी भिन्नता पाये जाने पर सम्बंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जायेगी। अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण यह सुनिश्चित कर लें कि 01 जून 2019 के बाद ऐसी कोई भी अनियमितता न पायी जाये। नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर व सिस्टम ऑफिसर उपरोक्त के बाबत मॉनिटरिंग करे और कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो उससे अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

23. सभी न्यायालयों में लंबित प्रकीर्ण, अंतिम आख्या एवं धारा 258 द0प्र0सं0 के कुल लंबित एवं निस्तारित वादों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया प्राप्त विवरण के अनुसार।

i. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना के न्यायालय में 154 प्रकीर्ण वाद एवं 513 अंतिम आख्या माह जून 2019 में लंबित रही जबकि माह जून 2019 में 01 प्रकीर्ण वाद एवं 30 अंतिम आख्या का निस्तारण किया गया।

ii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0 कोर्ट में 06 प्रकीर्ण वाद लंबित हैं जिनमें से माह जून 2019 में 01 प्रकीर्ण वाद का निस्तारण किया गया।

iii. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय में उपरोक्त वाद लंबित होने का कोई भी विवरण प्राप्त नहीं कराया गया न ही माह जून 2019 में उपरोक्त किसी भी वाद का निस्तारण किया गया।

iv. सिविल जज सी0डी0 शामली के न्यायालय में 34 वाद उपरोक्त प्रकीर्ण एवं अंतिम आख्या लंबित हैं परन्तु माह जून 2019 में किसी भी वाद का निस्तारण नहीं हुआ है।

v. सिविल जज सी0डी0 कैराना के न्यायालय में उपरोक्त प्रकृति का कोई भी वाद लंबित नहीं होना बताया गया।

vi. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट कैराना के न्यायालय से प्रकीर्ण वाद एवं अंतिम आख्या के लंबित होने की बाबत कोई विवरण पत्र प्राप्त नहीं कराया गया न ही किसी उपरोक्त वाद का माह जून 2019 में निस्तारण किया गया।

vii. सिविल जज जू0डी0/ न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय से प्राप्त विवरण के अनुसार 114 अंतिम आख्या माह जून 2019 में लंबित रही जबकि 4 अंतिम आख्या निस्तारित की गयी।

सभी न्यायिक आधिकारिकगण को निर्देशित किया गया कि प्रकीर्ण वाद, अंतिम आख्या एवं धारा 258 दं0प्र0सं0 के वादों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

24. माह जून 2019 में अधिरोपित अर्थदण्ड की बाबत विचार–विमर्श किया गया सभी न्यायालय से प्राप्त विवरण के अनुसार निम्नलिखित हैं।

i. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना के न्यायालय मे माह जून 2019 में 56000, रूपये अधिरोपित किया गया।

ii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0 कोर्ट मे कोंई भी अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं हुआ।

iii. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय मे माह जून 2019 में 19700 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

iv. सिविल जज सी0डी0 / ए0सी0जे0एम0 के न्यायालय में जून 2019 में 1500 रूपय अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

v. सिविल जज सी0डी0 कैराना के न्यायालय मे माह जून 2019 में कोई भी अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं हुआ।

vi. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट कैराना के न्यायालय मे माह जून 2019 में 4300 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

vii. सिविल जज जू0डी0 / न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय में महा जून 2019 में 100 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

25. सभी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा बताया गया कि जमा किये गये अर्थदण्ड को कोषागार से सत्यापित कराया जा रहा है एवं अर्थदण्ड पंजिका पर वाउचर का नम्बर एवं तिथि अंकित की गई है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अर्थदण्ड पंजिका पर नियमानुसार अपने स्वयं के हस्तलेख में प्रमाण पत्र तैयार करना सुनिश्चित करें। सभी न्यायिक अधिकारीगण को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन मामलों में अर्थदण्ड किसी अपीलीय न्यायालय से स्थगित न हो उनमें अर्थदण्ड की वसूली के बाबत विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिरोपित अर्थदण्ड की पत्रावलियों की स्केलेटन पत्रावलियां नियमानुसार तैयार करने हेतु संबंधित कर्मचारी को निर्देशित करें तथा ऐसे स्केलेटन पत्रावलियों में निर्णय व आदेश की छायाप्रति भी रखें।

26. अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित लंबित प्रार्थना पत्रों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया।जिनका विवरण निम्म प्रकार हैं

i. न्यायालय सिविल जज सी0डी0 शामली के न्यायालय में प्राप्त विवरण के अनुसार माह जून 2019 के प्रारम्भ में 170 अंतरिम निषेधाज्ञा 170 प्रार्थना पत्र लंबित थे माह जून 2019 में कोई भी प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय में प्राप्त हुआ न ही किसी प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया।

ii. न्यायालय सिविल जज सी0डी0 कैराना के न्यायालय से प्राप्त विवरण के अनुसार माह जून 2019 के प्रारम्भ में 34 अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र लंबित थे माह जून 2019 में कोई भी प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय में प्राप्त हुआ न ही किसी प्रार्थना पत्र

का निस्तारण किया गया।

iii. न्यायालय सिविल जज जू0डी0 शामली के न्यायालय में प्राप्त विवरण के अनुसार माह जून 2019 के प्रारम्भ में 299 अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र लंबित थे माह जून 2019 में कोइ भी प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय में प्राप्त हुआ न ही किसी प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया।

सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

27. सभी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–अपने न्यायालय में सभी पत्रावलियों की प्रतिदिन फीडिंग, फार्वर्डिंग तथा अपलोडिंग का कार्य व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

28. पुनर्निमित पत्रालियों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया प्राप्त विवरण के अनुसार किसी भी न्यायालय में कोई भी पत्रावली पुनर्निमित नहीं की गई और न ही पुनर्निमित होने की कोई कार्यवाई किसी भी न्यायालय में लंबित है।

29. मासिक त्रैमासिक एवं अन्य वांछित विवरण पत्र समय से प्रेषित किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया प्राप्त विवरण के अनुसार सभी न्यायालयों से वांछित विवरण पत्र समय से प्राप्त नहीं कराये जा रहे हैं। सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देश दिया गया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि सभी वांछित प्रपत्र समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

30. सभी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य किया करें और यदि किसी बाहरी व्यक्ति को कार्य करते हुए पाये तो अविलम्ब इस सम्बंध में मुझे रिपोर्ट करें। साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण को यह निर्देश दें कि वह कार्यालय में किसी बाहरी व्यक्ति से किसी प्रकार के कार्य में सहयोग न लें। यदि उनके द्वारा ऐसा करते हुए पाया गया तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

31. विभिन्न न्यायालयों लंबित पत्रावलियों के संबंध में अपीली एवं पुनरीक्षण न्यायालय से स्थगित वादों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया तथा सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 12 /Admin/G- II/ Alld., Dated 26.04.2018 के अनुसार पक्षकारों को नोटिस जारी कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार छः माह की अवधि पूरी कर चुके स्थगन आदेश के बाबत अद्यतन स्थिति मंगाकर उक्त पत्रावलियों में विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करें।

32. सभी न्यायिक अधिकारीगण से जमानत प्रार्थना पत्र एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आने वाली कठिनाईयों व समस्याओं पर विचार–विमर्श

किया गया तथा सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे जमानत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 का निस्तारण बिना किसी विलम्ब के त्वरित गति से नियमानुसार करना सुनिश्चित करें तथा इस बाबत समय पर समय माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को शब्दशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

33. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या– 8717/Admin G-ll/ Dated. 03.07.2019 पर चर्चा की गई। दिनांक 17.08.2019 की तिथि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पौधरोपण के लिए नियत की गई है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी नजारत को नोडल अधिकारी पौधरोपण एवं सिविल जज सी0डि0 शामली को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी को एवं सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे पौधरोपण कार्यकम को सफल बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरी से परामर्श करना सुनिश्चित करें।

34. सभी न्यायिक अधिकारीगण से अपेक्षा की गई कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा क्लस्टर वाईज कराये जा रहे वर्कशॉप के लिए आवंटित प्रश्नों के अनुरूप अपनी तैयारी पूरी कर लें तथा साथ ही दिन–प्रतिदिन न्यायिक कार्य में आने वाली कठिनाईयों का बिन्दुवार विवरण तैयार कर अतिशिघ्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करें जिससे कि उपरोक्त वर्कशॉप में अधिक से अधिक मौलिक बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया जा सके और प्रत्येक प्रकार की कठिनाईयों का हल सुनिश्चित किया जा सके।

35. मासिक बैठक में मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अभिलिखित के संबंध में चर्चा हुई। सामान्यतः बयान अभिलिखित (रिकॉर्ड) करने पर कोई परेशानी नहीं है, किन्तु कतिपय मामले में पीड़िता या जिस व्यक्ति का बयान अभिलिखित किया जाना है, यदि वह मुकबधिर है तो कैसे बयान अभिलिखित किया जाय, इस सन्दर्भ में श्री राजमंगल सिंह यादव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा बताया गया कि उक्त के बाबत 164(5) द0प्र0सं0 के प्रावधान के अनुसार बयान किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेकर अभिलिखित किया जाएगा तथा उक्त की वीडियोग्राफी भी करायी जाएगी।

36. सिविल जज सी0डि0 शामली के द्वारा अवगत कराया गया कि समन के तामीला के संबंध में प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों की नवीनतम सूची जजशिप शामली बनने के उपरान्त तैयार नहीं करायी गयी है। जिस कारण प्रकाशन हेतु पैरवी करने में अधिवक्तागण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी नजारत को निर्देशित किया गया कि वे समाचार पत्रों की सूची तैयार कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

37. सिविल जज सी0डि0 शामली के द्वारा अवगत कराया गया कि सिविल न्यायालयों में जमा धनराशि के बाबत कोषागार मुजफ्फरनगर एवं कोषागार शामली की तकनीकी समस्या के

कारण रिफण्ड बाउचर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिस कारण वादकारी एवं अधिवक्तागण को परेशानी हो रही है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कोषागार से अतिशीघ्र उक्त का समाधान कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे कि रिफण्ड बाउचर का भुगतान हो सके।

38. कोर्ट की साफ सफाई के सम्बंध में चर्चा की गई एवं प्रभारी अधिकारी नजारत तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को निर्देशित किया गया कि केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से कैम्पस की साफ–सफाई कराना एवं पौधरोपण तथा सीजनल फूल के पौधे लगवाना सुनिश्चित करें।

मासिक बैठक में किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा अन्य कोई समस्या नहीं बतायी गयी। मासिक बैठक रिपोर्ट की प्रति सभी सम्बंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

(अनूप कुमार गोयल)
जनपद न्यायाधीश,
शामली

दिनांकः– जुलाई 11, 2019

(29)

संलग्नक - 10

29
24/3/2021

न्यायालय श्रीमान A.D.J (पोक्सो) शामली

मु० अ०सं० - 305 सन् - 2020

स० बनाम

U/s - 377, 511 ipc व 7/8 पोक्सो एक्ट

PS - कांधला

नकल - प्र०पत्र 3/06/2020

Date of Application. 24/3/2021
Date of Notice....25/3/2021
Date of Delivery...... 25/3/2021
Signature of H.C.......

25/3/2021

रिपोर्ट थाना कांधला शामली

सेवा में

श्रीमान न्यायालय A.D.J. विशेष पोक्सो एक्ट ' सेशन-10/1
कैराना शामली (38)

विषय- थाना हाजा पर पंजीकृत मु० अ०सं० 305/20 धारा 377, 511 IPC 7/8 पोक्सो एक्ट के पीड़ित आहद S/o मेहराज 210 मो० मौहल्ला [illegible] व थाना कांधला शामली के बयान अन्तर्गत धारा 164 C. में दर्ज कराने विषयक।

महोदय

निवेदन यह है कि थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 305/2 धारा 377, 511 IPC व 7/8 पोक्सो एक्ट के पीड़ित आहद उपरोक्त के बयान माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 164 Cr.P.C में दर्ज होने आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि पीड़ित आहद उपरोक्त के बयान माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 164 Cr.P.C में दर्ज कराने की कृपा करें।

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

3.6.20
उ०नि०
थाना कांधला
शामली

Sir
Submitted
Insp. SHO
03/06/2020

थाना कांधला शामली

Ld CJM
to arrange
3/6/20

Put up before
Ld. ACJM/ CJ(S.D)
Kairana
3/6/20

सत्य प्रतिलिपि
25/3/2021

प्रतिलिपिक/शामली

Photo Copy Compared By
Words........ 290
25/3/2021

(39) संलग्नक - 11

न्यायालय श्रीमान A.D.J (पोक्सो) शामली

30
24/3/2021

मु० अ० सं० — 134 सन-2020

स० बनाम

U/s — 379, 120B ipc व 3/4 पोक्सो एक्ट

PS — थाना भवन

नकल. - प्रा० पत्र 29/05/2020

Date of Application. 24/3/2021
Date of Notice.... 25/3/2021
Date of Delivery.... 25/3/2021
Signature of H.C.....

25/3/2021

[illegible]

[illegible]

(32)

कागज-11/2

विषय – [illegible] 174/20 धारा 377, 120बी [illegible] से सम्बन्धित पीड़ित कैफ का बयान अन्तर्गत धारा 164 CrPC कराने विषयक

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि थाना हाजा पर पंजीकृत मु0 उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़ित कैफ पुत्र सलाह[illegible] निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी PS थानाभवन जि0 शामली माननीय न्यायालय उपस्थित आया है। जिसके विवेचना पीड़ित का बयान अन्तर्गत धारा 164 CrPC कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पीड़ित का कलमबन्द बयान कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

Suman
29.5.20
[illegible]

[illegible] – शामली

Put up before
Ld. CJ (JD)/JM.
Shamli
29/5/20

[illegible]
29/5/20

[illegible]

सादर अवगत कराना है कि थाना हाजा पर पंजीकृत मु० उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता [illegible] 510 [illegible] मो० हसन [illegible] कुमारी PS थानाभवन जि० शामली को माननीय न्यायालय उपस्थित आया है। कारण विवेचना पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 Cr.P.C कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पीड़िता का कलमबन्द बयान कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

Suman
29.5.20
(विकास कुमार)
SI
PS - थानाभवन
जिला - शामली

Ld CJM to arrange
[signature] 29/5/20

Put up before Ld. CJ (JD) Shamli
[signature] /5/20

[illegible] CJ (JD)/JM Shamli [illegible] CJ (SD)/ACJM [illegible] Recess पर है अतः [illegible] बयान दर्ज करें।
[signature] 1/6/20

Photo Copy Compared By
Words......150/ 25/3/2021

सत्य प्रतिलिपि
25/3/2021
मुख्य प्रतिलिपिक/शामली

(33)

संलग्नक - 12

न्यायालय श्रीमान किशोर न्याय बोर्ड, शामली

मु०अ०सं० - 238 सन - 20

सं० बनाम

36
10/3/2021

U/s - 363, 376 ipc व 3/4 पोक्सो अधि०

PS - कांधला

नकल! - प्रा०पत्र 13/08/2020

Date of Application. 10/3/2021
Date of Notice........19/3/2021
Date of Delivery......19/3/2021
Signature of H.C.......

19/03/2021

रिपोर्ट थाना – कांधला जनपद – शामली

(39)

सेवा मे,

मा० न्यायालय श्रीमान ADJ (पोक्सो) महोदय,

जनपद – शामली।

विषय: मु० अ० सं० 238/20 धारा – 363/376 भा०द०वि० व धारा – 3/4 पोक्सो एक्ट PS – कांधला (शामली) मे पीडिता कु० [illegible] के बयान अन्तर्गत धारा-164 मा० न्यायालय मे अंकित कराने विषयक।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मु० अ० सं० 238/20 धारा-363/376 IPC व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट PS-कांधला (शामली) मे पीडिता कु० [illegible] D/o [illegible] [illegible] (PS-कांधला (शामली)) उम्र -14 वर्ष के बयान अन्तर्गत धारा-164 CrPC [illegible] विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु पीडिता उपरोक्त के बयान मे अंकित किये जाना [illegible] [illegible] आवश्यक है अन्तर्गत धारा – 164 CrPC मा० न्यायालय मे कराये जाने आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पीडिता उपरोक्त के बयान अन्तर्गत धारा – 164 CrPC मा० न्यायालय मे कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

19/3/2021

रिपोर्ट [illegible] सेवा मे प्रेषित है

[signature] 13/05/2020

(मुकेश [illegible])

[illegible]

PS – कांधला

जनपद शामली

Sir

Submitted

[signature] ADSC (Cri)

12/05/2020

Put up before Ld. CJ(SD)/ACJM Kairana

[signature] 13/05/20

Ld. CJM to record the statement or arrange for the same

[signature] 13/5/20

Photo Copy Compared By

Words 120

सत्य प्रतिलिपि

19/3/2021

मुख्य प्रतिलिपिक/शामली

मेरे संज्ञान में प्रकरण लाया गया कि मिसलें
CJ(SD)/ACJM कैराना ~~बयान~~ लिखने
अदालत में व्यस्त हैं अत: CJ(SD)/JM Shamli
बयान हेतु प्रस्तुत
के समक्ष पेश हो।

13/5/20

संलग्नक - 13

(35)

180

प्रेषक,

मुक्ता त्यागी
सिविल जज (जू०डि०)
शामली।/
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
शामली।

विषय - न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में कार्यरत स्टेनोग्राफर दिनेश कुमार द्वारा न्यायालय समय से पूर्व बिना पूर्व अनुमति/सूचना के न्यायालय परिसर छोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि दिनांक 30-6-20.. को लंच बाद श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के आदेश दिनांकित 30-6-2020 के अनुक्रम मेरे द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जेल निरीक्षण पर जाने के कारण उनके न्यायालय के [illegible] रिमाण्ड, बेल बोन्ड व अन्य आवश्यक काम मेरे द्वारा सम्पादित किये जाने थे। दिनांक 30-6-20.. को समय 4:00 बजे थाना कोतवाली शामली से मु० अ० सं० 24/2020, धारा 60, 63 आबकारी एक्ट [illegible] 3 आ० ह० अधि० में रिमाण्ड प्रस्तुत की गयी जिसमें समय 4:30 बजे बेल विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी। बेल के निस्तारण हेतु एवं मेरे द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

स्टेनोग्राफर श्री दिनेश कुमार का कुआम...
किन्तु यह सूचना प्राप्त हुयी कि श्रीमान मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, कार्यालय एवं वि...
कक्ष मे ताला पड़ा हुआ है। मेरे द्वारा और पू...
ताछ करने पर श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे...
के न्यायालय मे कार्यरत लिपिक ने मेरे सम...
आकर यह कथन किया कि स्टेनोग्राफर दिनेश
कुमार पिछले 3 दिन से अवकाश पर है। मेरे
द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्याय...
मे कार्यरत कर्मचारीगणों की उपस्थिति पंजिका
मंगवाये जाने पर उपरोक्त वादलिपिक द्वारा म...
कहा गया कि कर्मचारीगण की उपस्थिति पं...
साहब अपनी अलमारी मे रखते है तथा चा...
अपने पास रखते है तथा अपने साथ ही ले
जाते हैं। ऐसी परिस्थिति मे यह स्पष्ट नहीं
कि स्टेनोग्राफर श्री दिनेश कुमार छुट्टी पर थे
नहीं। अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेद...
है कि यदि श्री दिनेश कुमार अवकाश पर न...
तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा...

दिनांक-30-6-2020

भवदीया
30/6/20
(मुक्ता त्या...
सिविल जज
प्रभारी मुख्य...
मजिस्ट्रेट
शामली

Call for comment
the concerned
employee
[illegible]

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
जनपद शामली।

द्वारा,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

विषयः- आदेश दिनांकित 30-06-2020 के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 27-06-2020 चतुर्थ शनिवार को न्यायालय में उपस्थित आया था। प्रार्थी के भाई की शादी होने के कारण पीठासीन अधिकारी को मौखिक रूप से अवगत कराने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 29-06-2020 एवं 30-06-2020 के आकस्मिक अवकाश एवं न्यायालय सम्योपरान्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में कार्यरत मुंसरिम/रीडर को देकर अपने ग्रह जनपद मुरादाबाद चला गया। दिनांक 29-06-2020 को प्रार्थी के आकस्मिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रार्थी के अवकाश के दौरान माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देशानुसार न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश में नियुक्त आशुलिपिक श्री कौशल पराशर द्वारा न्यायालय का कार्य सम्पादित किया गया। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनांक-06-07-2020

प्रार्थी

दिनेश कुमार
आशुलिपिक
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

संलग्नकः-पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।

संलग्नक - 15

(38)

न्यायालय श्रीमान J.M महोदय शामली

वाद स०- 2494/9 सन् 2020

42
18/3/21

सरकार बनाम डा॰ नाहिद खान आदि

U/S- 376D, 354C, 386, 120B IPC

PS- थानाभवन

नकल - तहरीर

Date of Application.. 18/3/2021
Date of 18/3/2021
Date of Delivery...... 18/3/2021
Signature of H.C.......

18/3/2021

6680/ST. SP शामली

कृ. नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करें

06/2020

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,

जनपद- शामली।

PERSONAL ATTENTION

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थीया ग्राम- बन्तीखेडा, जनपद- शामली की रहने वाली है कस्बा- जलालाबाद निवासी डा0 नाहिद खान ने मुझे नशे का इंजेक्शन लगाकर मेरी अश्लील वीडियो बना ली, जिसके बल पर उसने मुझे ब्लैक-मेल कर मेरे साथ यौन शोषण किया तथा मुझसे अलग-अलग किश्तों में 50,000/- रूपये भी ऐंठ लिए। जब उक्त व्यक्ति का इतने से भी मन नहीं भरा, तब उसने अपने पत्रकार साथी जिसका नाम राव राफे खां है। नाहिद कस्बा- थानाभवन में मेन बस स्टैण्ड पर ऊपर की दुकान पर देर शाम मुझे उसके पास ले गया और उस पत्रकार ने मुझे अखबार में मेरी वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए। मेरा यौन शोषण किया तथा दो और उसने अन्य साथी जिनको मैं सामने आने पर पहचान लूंगी, एक लडका उनमें से मूछों वाला था और एक ने कैप लगा रखी थी। उक्त लोगों ने मुझे अलग-अलग जगह बुलाकर मुझे ब्लैक-मेल कर मेरा शारीरिक शोषण किया और मेरे साथ चारों लोगों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए। वह लोग जब मेरे ऊपर प्रेशर बनाने लगे, तब मैंने तंग आकर सारी बात अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद मैंने आप श्रीमान जी के कार्यालय में शिकायत की। आपके आदेश के पश्चात थानाभवन थाने में दो-तीन दिन चक्कर काटने के बाद बडी मुश्किल से मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद अब पुलिस लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि अपनी तहरीर बदलो, क्योंकि इसमें एक पत्रकार का नाम है। पत्रकार का नाम हटाने को पुलिस मेरे ऊपर दबाव बना रही थी। लेकिन मैने सच घटना को तहरीर में लिखा और कहा कि जो घटना सच है, मैंने वह आपको बताथी है। जिसके बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ और मेरे बयान कराने के लिए पुलिस मुझे कैराना कोर्ट ले गई। रास्ते में पुलिस ने मेरे ऊपर इस बात का काफी प्रेशर दिया कि तुम इसमें अपने बयान बदल दो और पत्रकार का नाम मत लेना, नहीं तो इसमें कुछ नहीं किया जायेगा। जब मैं जज के सामने पहुंची, तो जज ने मुझे खूब धमकाया और कहा कि तुम पत्रकार का नाम इसमें से हटा दो। मैंने जज को कहा कि मैंने जो तहरीर में लिखा है, वह एक सच्ची घटना है और यही मेरा बयान है, लेकिन जज मुझे लगातार धमकाती रही, जिससे मैं काफी डर गई और सही से बोल नहीं पायी। पुलिस भी आरोपियों के साथ मिलकर ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही और लगातार मेरे ऊपर फैसले का दबाव बना रही है।

क्रमशः..2

CO थानाभवन
कृ. जांच कर कार्यवाही करें।

पु.अ.
10/06/20

SHO थानाभवन
कृ. नियमानुसार IO कार्यवाही करें।
10/06/2020

अमित सक्सेना
क्षेत्राधिकारी थानाभवन
जनपद शामली

5760

SI अ. अयूब
कृपया नियमानुसार कार्यवाही करें
11/06/2020

(28)

आरोपी पक्ष के लोग मेरा व मेरे परिवार का पीछा कर लगातार परेशान कर रहे हैं। आरोपी मेरे ऊपर लगातार फैसले का दबाव बना रहे हैं। मुझे खतरा है कि उक्त आरोपी मुझे व मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे न्याय की गुहार लगा रही हूँ। मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे पास मरने से अलावा कोई रास्ता नहीं है, जिसके जिम्मेदार उक्त लोग हैं।

प्रार्थीया एक मुस्लिम परिवार की शादीशुदा महिला है। उक्त दबंग लोग अपनी उठ-बैठ के दम पर मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं तथा मेरे ऊपर फैसले का दबाव बना रहे हैं।

दिनांक-.....

प्रार्थी

अफसाना पत्नी वकील

ग्राम- बन्तीखेडा

थाना- बाबरी, जिला- शामली

मो0- .....

Photo Copy Compared By
Words..... 350 18/3/2024

सत्य प्रतिलिपि
18/3/2024
मुख्य प्रतिलिपिक/शामली

संलग्नक-16
(40)

न्यायालय श्रीमान J.M महोदय शामली
वाद सं०- 2494/9 सन् 2020
सरकार बनाम डा० नाहिद खान आदि
U/S- 376D, 354C, 386, 120B IPC
PS- थानाभवन
नकल - आदेश 11/06/2021

42
18/3/21

जनपद शामली

Date of Application. 18/3/2021
Date of 18/3/2021
Date of Delivery...... 18/3/2021
Signature of H.C........

18/3/2021

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद शामली।

(30) (40)

11-06-2020

विवेचक श्री अशेष बाबू द्वारा मु.अ.सं. 155/2020 अंतर्गत धारा 376,354 ग, 386,120B भा.द.सं. थाना थानाभवन, शामली के सम्बंध में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया है कि पीड़िता अफसाना पत्नी वकील निवासी बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली सम्बंधित मुकदमा उपरोक्त का कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. में दिनांक 04-06-2020 को कराया जा चुका है। पीड़िता द्वारा श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के समक्ष पुनः कथन 164 द.प्र.सं. कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया है। प्राप्त होने पर आज में पुनः मय पीड़िता न्यायालय में उपस्थित आया हूं।

पीड़िता एवं अभियोजन अधिकारी को सुना एवं अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 04-06-2020 को पीड़िता का धारा 164 द.प्र.सं. का बयान कराया जा चुका है। पुनः बयान कराये जाने हेतु इस आधार पर प्रार्थनापत्र दिया गया है कि पीड़िता ने डी. एम. साहब के यहां प्रार्थनापत्र दिया था उसी के अनुक्रम में पुनः बयान कराया जाये। अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में विधिव्यवस्था क्रि. मि. रिट पेटिशन.सं. 2027/2018 मनीषा शाहू एवं अन्य बनाम स्टेट आदि प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 19-03-18 को यह अवधारित किया गया हैं कि " It is true that law does not bar recording the statement of the victim under Section 164 Cr.P.C. twice, but at the same time the second statement should not be recorded to negate or defeat the eariler statement of the victim whether it is in favour or against the accused otherwise the sanctity of the statement under section 164 Cr.P.C. will loose its value." और कथन किया गया है कि पीड़िता का बयान दोबारा कराये जाने से कहीं भी रोका नहीं गया है। अतः पीड़िता का बयान कराया जाये। मैंने उपरोक्त विधिव्यवस्था का अवलोकन किया। पीड़िता का पूर्व में बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 04-06-2020 को दर्ज कराया जा चुका है और उसके बताने के आधार पर बयान लिखा जा चुका है। डी.एम. और एस.पी. को जो प्रार्थनापत्र पीड़िता द्वारा दिया गया है उस पर बयान लिखने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा डराने धमकाने की बात का कथन किया गया है और उसकी सही बात न लिखने का कथन किया गया है, किन्तु किस प्रकार से उसे डराया-धमकाया गया और किन कारणों से उसे डराया धमकाया गया इस सम्बंध में कुछ अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त विधिव्यवस्था में यह निर्धारित किया गया है कि " It is true that law does not bar recording the statement of the victim under Section 164 Cr.P.C. twice, but at the same time the second statement should not be recorded to negate or defeat the eariler statement of the victim whether it is in favour or against the accused otherwise the sanctity of the statement under section 164 Cr.P.C. will loose its value."

पूर्व में पीड़िता का बयान दर्ज कराया जा चुका है। बयान सक्षम न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया है। उपरोक्त के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि पुनः बयान कराये जाने का कोई औचित्य दर्शित नहीं होता है। विवेचक का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

Photo Copy Compared By
Words....... 300 ...... 18/3/2021

11/06/20
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद शामली।

आदेश की एक प्रति
आवश्यक कार्यवाही हेतु
विवेचक को प्रेषित।

B.O

11/06/20

सत्य प्रतिलिपि
18/3/2021
मु. प्रतिलिपिक/शामली

∠44

संलग्नक 17

(41)

(विश्राम कक्ष)
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

सूचित अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2020 को मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग होनी है। अतः [illegible] कार्य करने में आने वाली समस्याओं से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे आपकी [illegible] को मॉनिटरिंग की मीटिंग में रखा जा सके। समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

19.06.20

[illegible] 19.06.2020

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

20.6.2020

संलग्नक 18

(22)

(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

आदेश सं० - 2 दिनांकित - 16.8.18

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली न्यायालय में रविवार एवं अन्य अवकाश काल में रिमाण्ड डयूटी करने हेतु सम्बंधित अधिकारी उनके पदनाम के समक्ष दिये गये माह में रिमाण्ड डयूटी का कार्य सम्पादित करेंगे।

माह	पदनाम
अगस्त	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
सितम्बर	सिविल जज (सी.डि.)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
अक्टूबर	सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
नवम्बर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
दिसम्बर	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
जनवरी	सिविल जज (सी.डि.)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
फरवरी	सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
मार्च	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

16-8-18

(राजमंगल सिंह यादव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

Chief Judicial Magistrate
Shamli at Kairana

प्रतिलिपि–

1– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सूचनार्थ।

2– एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।

3– सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।

4– अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

रिमाण्ड 19

(43)

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
19-03-19

आदेश सं. 11

दिनांक 19-3-19

आदेश

माह मार्च, 2019 में रिमाण्ड डयूटी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली की है। होली के अवकाश दिनांक 20-03-19 से दिनांक 22-03-19 तक की रिमाण्ड डयूटी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रटे, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी। आदेश को गार्ड फाईल में सुरक्षित रखा जाये।

19/3/19

दिनांक- 19-03-19

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

(24)

102

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
24-04-19

आदेश सं. 15

दिनांक 24-4-19

आदेश

सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के आकस्मिक परिस्थितियों में अवकाश पर रहने के कारण दिनांक 28-04-19 को रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित किया जायेगा। सम्बंधित सूचित हो।

दिनांक- 24-04-19

24/4/19

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

(45) 215

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
05-03-20

आदेश

सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम, शामली, सुश्री मुक्ता त्यागी के द्वारा दिनांक 05-03-2020 को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि दिनांक 14-03-2020 की रिमाण्ड डयूटी सम्पादित किये जाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सहमति दी गयी है। अतः दिनांक 14-03-2020 की रिमाण्ड डयूटी हटाये जाने के सम्बंध में आदेश पारित करने की कृपा करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा दिनांक 14-03-2020 की रिमाण्ड डयूटी सम्पादित करने के लिये सहमति दी गयी है। इस अनुक्रम में दिनांक 14-03-2020 की रिमाण्ड डयूटी सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम. शामली सुश्री मुक्ता त्यागी के स्थान पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित सूचित हो।

05/3/20

(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।
3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

05/03/20

Recieved
06/03/2020

5/3/2020

5/3/...

209

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
24-02-20

आदेश

सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम, कैराना, शामली के द्वारा दिनांक 20-02-2020 को पत्र इस आशय का प्रेषित किया गया है कि दिनांक 09-03-2020 व दिनांक 10-03-2020 को रिमाण्ड कार्य हेतु किसी अन्य मजिस्ट्रेट, को नियुक्त किया जाये। पत्र में दिनांक 08-03-2020 एवं दिनांक 11-03-2020 की रिमाण्ड ड्यूटी हेतु सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम. शामली द्वारा सहमति भी प्रदान की गयी है।

चूंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली श्री राजमंगल सिंह यादव को भी होली के अवकाश में बाहर जाना है और सुश्री रूचि तिवारी सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम., कैराना, शामली के द्वारा दिनांक 08-03-2020 से दिनांक 14-03-2020 तक तीर्थ यात्रा पर रामेश्वर, तमिलनाडु जाने के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया है। वर्तमान में अन्य कोई मजिस्ट्रेट, जनपद शामली में कार्यरत नहीं है। अतः समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020 एवं दिनांक 14-03-2020 को रिमाण्ड ड्यूटी सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित सूचित हो।

24/2/20.

(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।
3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

25/02/2020

M/R 25-2-2020

Read 25/2/2020 Reader D.J.

Sir Record Copy

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
25-02-20

आदेश

सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम, कैराना, शामली के द्वारा प्रार्थनापत्र दि. 24-02-2020 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया को माह मार्च में दिनांक 08-03-2020 से दिनांक 14-03-2020 तक तीर्थ यात्रा हेतु रामेश्वरम, तमिलनाडु जाना है। माह मार्च में मेरी रिमाण्ड ड्यूटी है। पूर्व में सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम, शामली द्वारा दिनांक 08-03-2020 व 11-03-2020 की रिमाण्ड ड्यूटी करने की सहमति प्रदान की गयी थी, किन्तु अभी उनके द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें दिनांक 08-03-2020 से 11-03-2020 तथा 13-03-2020 एवं 14-03-2020 किसी आवश्यक कार्य हेतु इलाहाबाद जाना है जिस कारण वे रिमाण्ड ड्यूटी कर पाने में असमर्थ हैं। अतः दिनांक 08-03-2020 से दिनांक 14-03-2020 तक रिमाण्ड कार्य सम्पादित किये जाने हेतु किसी अन्य मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने की प्रार्थना की गयी है। पूर्व में भी दिनांक 20-02-2020 को इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया था जिस पर सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा रिमाण्ड कार्य करने के लिये सहमति दी गयी थी। जिसके सम्बंध में मेरे द्वारा दिनांक 24-02-2020 को यह आदेश पारित किया गया था कि चूंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली राजमंगल सिंह यादव को भी होली के अवकाश में बाहर जाना है और सुश्री रूचि तिवारी सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम., कैराना, शामली के द्वारा दिनांक 08-03-2020 से दिनांक 14-03-2020 तक तीर्थ यात्रा पर रामेश्वर, तमिलनाडु जाने के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया है। अतः दिनांक 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020 एवं दिनांक 14-03-2020 को रिमाण्ड ड्यूटी सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी।

चूंकि वर्तमान में अन्य कोई मजिस्ट्रेट, जनपद शामली में कार्यरत नहीं है। अतः समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 24-02-2020 के अनुक्रम में दिनांक 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020 एवं दिनांक 14-03-2020 को रिमाण्ड ड्यूटी सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा ही सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित सूचित हो।

25/2/20

(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रतिलिपि–

1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।
3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
30-09-2020

आदेश संख्या   दिनांक

धारा 167 द.प्र.सं. के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक कार्य दिवस में अभियुक्तगण का रिमाण्ड कार्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा आदेश दिनांकित 03-12-19 के अनुक्रम में निम्न प्रकार से सम्पादित किया जायेगा-

पदनाम	माह
सुश्री रूचि तिवारी, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना	अक्टूबर
सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	नवम्बर
श्री अरूण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	दिसम्बर
श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	जनवरी
सुश्री रूचि तिवारी, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना	फरवरी
सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	मार्च
श्री अरूण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	अप्रैल
श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली।	मई

न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में रिमाण्ड कार्य लिंक अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

सम्बंधित सूचित हो।

30/9/20
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

प्रतिलिपि-

1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।

2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।

3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।

4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनार्थ।

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
20-04-19

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली न्यायालय में रविवार एवं अन्य अवकाश काल में रिमाण्ड डयूटी करने हेतु सम्बंधित अधिकारी उनके पदनाम के समक्ष दिये गये माह में रिमाण्ड डयूटी का कार्य सम्पादित करेंगे।

पदनाम	माह
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना शामली	मई
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	जून
सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	जुलाई
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना शामली	अगस्त
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	सितम्बर
सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	अक्टूबर
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना शामली	नवम्बर
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	दिसम्बर
सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	जनवरी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना शामली	फरवरी
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	मार्च

(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
2- एस.पी.ओ , शामली को सूचनार्थ।
3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

(43)

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
19-03-19

आदेश सं. 11

दिनांक 19-3-19

आदेश

माह मार्च, 2019 में रिमाण्ड डयूटी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली की है। होली के अवकाश दिनांक 20-03-19 से दिनांक 22-03-19 तक की रिमाण्ड डयूटी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी। आदेश को गार्ड फाईल में सुरक्षित रखा जाये।

19/3/19

दिनांक- 19-03-19

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

/44

संलग्नक 17

(41)

(विश्राम कक्ष)
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

... अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2020 को मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग होनी है। अतः ... दिन कार्य करने में आने वाली समस्याओं से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे आपकी ... को मॉनिटरिंग की मीटिंग में रखा जा सके। समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

19.06.20

...19.06.2020

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

M/R
20.6.2020

संलग्नक 18

(42)

(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

आदेश संख्या - 2 दिनांकित - 16.8.18.

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली न्यायालय में रविवार एवं अन्य अवकाश काल में रिमाण्ड डयूटी करने हेतु सम्बंधित अधिकारी उनके पदनाम के समक्ष दिये गये माह में रिमाण्ड डयूटी का कार्य सम्पादित करेंगे।

माह	पदनाम
अगस्त	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
सितम्बर	सिविल जज (सी.डि.)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
अक्टूबर	सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
नवम्बर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
दिसम्बर	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
जनवरी	सिविल जज (सी.डि.)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
फरवरी	सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
मार्च	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

16.8.18

(राजमंगल सिंह यादव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

Chief Judicial Magistrate
Shamli at Kairana

प्रतिलिपि–

1– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सूचनार्थ।

2– एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।

3– सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।

4– अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

(50)

संलग्नक 26

30
10/3/21

न्यायालय श्रीमान जनपद न्यायाधीश शामली
मु॰अ॰सं॰- 837 सन् 2019
सरकार बनाम शिवानी
U/S- 302, 201, 120(B) IPC
PS- को॰ शामली
नकल - रिमाण्ड शीट

Date of Application. 10/3/2021
Date of Notice...... 12/03/2021
Date of Delivery...... 12/3/2021
Signature of H.C......

12/3/2021

1520/16

(51)

रिमाण्ड शीट

मु0 अ0 सं0 837/19 धारा 302, 201, 120(B) भा0द0वि0 थाना को0 शामली

शिवानी

बनाम 1 शिवानी पु0 स्व0 हरीश नि0 ग्राम 14 फूलबाग कालोनी

2 थाना नौचन्दी मेरठ, हाल पता - हाईडिल कालोनी खेड़ी करमू

3 थाना को0 शामली जिला-(शामली)

4

आज दिंनाक 19/5/19 को उपरोक्त वाद मे अभियुक्त/ अभियुक्तगण थाने से गिरफतार मुद्रा मय सी. डी. मान व 14 योग रिमान्ड प्रा0 पत्र के न्या0 हाजिर आये अभियुक्त की धारा 167सी0आर0पी0.सी0 का वारन्ट बनाया जाये । विवेचक ने तकमेला तफतीश शेष होने के कारण 14 योग रिमाण्ड को प्रार्थना की है। सम्बधित कागजात का अवलोकन किया गया रिमान्ड का प्रर्याप्त आधार है।

अतः आदेश किया जाता है कि अभियुक्तगण का रिमाण्ड दिंनाक 19/5/19 से दिंनाक 1/6/19 तक स्वीकार है तब तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा मे रखा जावे।

19/5/19

19-5-19

सत्य प्रतिलिपि
12/3/2021
मुख्य प्रतिलिपिक/शामली

Photo Copy Compared By
Words....... 100 12/3/2021

संलग्नक-27

(52)

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
शामली।

विषय– दिनांक 19.05.2019 को जनपद न्यायालय, शामली में कार्यरत सभी मजिस्ट्रेट की मुख्यालय छोडने की अनुमति की सूचना के सम्बन्ध में

महोदय,

सविनय निवेदन है कि श्रीमान जी के उपरोक्त विषयक पत्र दिनांकित 19.03.2021 तथा पत्र पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के आदेश दिनांकित 19.03.2021 के अनुपालन में यह सूचना आपको उपलब्ध करायी जाती है:–

"वर्ष 2019 के अभिलेखों के अनुसार दिनांक 18.05.2019 को तत्समय कार्यरत मजिस्ट्रेट न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण में से किसी के भी द्वारा दिनांक 18.05.2019 अथवा दिनांक 19.05.2019 को मुख्यालय छोडने की अनुमति हेतु कोई प्रार्थनापत्र प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है।"

तदनुसार, आख्या श्रीमान जी के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

19/3/2021

दिनांक 19.03.2021

प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय,
शामली।

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शामली।

विषय– दिनांक 19.05.2019 को न्यायालय, शामली में कार्यरत सभी मजिस्ट्रेट की मुख्यालय छोड़ने की अनुमति की सूचना के संबंध में।

महोदय

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त डी0ओ0 नम्बर सी0वी0 610/2021 इलाहाबाद दिनांकित 08.03.2021 के संबंध में आख्या प्रस्तुत करनी है। जिसके संबंध में प्रार्थी को इस तथ्य की सूचना की आवश्यकता है कि दिनांक 18.05.2019 को उस समय कार्यरत सभी मजिस्ट्रेट, न्यायालयों में से किस–किस पीठासीन अधिकारी के द्वारा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का प्रार्थना पत्र दिया गया था।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सूचना दिलाये जाने के संबंध में संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

19/03/21

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

दिनांक–19–03–2021

(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

30-09-2020

आदेश संख्या   दिनांक

धारा 167 द.प्र.सं. के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक कार्य दिवस में अभियुक्तगण का रिमाण्ड कार्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा आदेश दिनांकित 03-12-19 के अनुक्रम में निम्न प्रकार से सम्पादित किया जायेगा -

पदनाम	माह
सुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना	अक्टूबर
सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली.	नवम्बर
श्री अरुण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	दिसम्बर
श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	जनवरी
सुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना.	फरवरी
सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली.	मार्च
श्री अरुण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	अप्रैल
श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली।	मई

न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में रिमाण्ड कार्य लिंक अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

सम्बंधित सूचित हो।

30/9/20

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

प्रतिलिपि-

1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।

2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।

3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।

4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनार्थ।

संलग्नक - 29

(54)

न्यायालय श्रीमान C.J.M. शामली

मु० अ० सं० - 83 सन - 2020

स० बनाम राज्यपुर

U/s - 147,148,452,323,324,506,326 IPC

PS - झिंझाना

नकल: - रिमाण्ड शीट 11/10/2020 से 06/11/20 (05)

35
10/3/2021

Date of Application 10/3/2021
Date of Notice 19/3/2021
Date of Delivery 19/3/2021
Signature of H.C.

19/3/2021

55

रिमाण्ड शीट

मु0 अ0 सं0 83/20 धारा 147,148,452,323,324,506,326 IPC चा0 थाना झिंझाना

बनाम 1 गफ्फूर S/o फकरुद्दीन R/o ग्राम मन्सूरा PS झिंझाना शामली

2

3 FS वारन्ट प्राप्त किया/

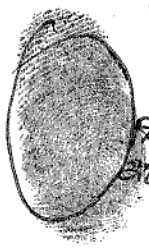

4 का0 867 [illegible]

गफ्फूर

आज दिंनाक 11/10/20 .... को उपरोक्त वाद मे अभियुक्त/ अभियुक्तगण थाने से गिरफतार मुद्रा मय सी. डी. मान व 14 योग रिमान्ड प्रा0 पत्र के न्या0 हाजिर आये अभियुक्त की धारा 167सी0आर0पी0.सी0 का वारन्ट बनाया जाये । विवेचक ने तकमेला तफतीश शेष होने के कारण 14 योग रिमाण्ड को प्रार्थना की है। सम्बधित कागजात का अवलोकन किया गया रिमान्ड का प्रर्याप्त आधार है।

अतः आदेश किया जाता है कि अभियुक्तगण का रिमाण्ड दिंनाक 11/10/20 से दिंनाक 23/10/20 .... तक स्वीकार है तब तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा में रखा जावे।

[signature]

रिमान्ड मजिस्ट्रेट
शामली स्थित कैराना
11/10/20

Heard and perused the record. There is no document as to how S. 326 IPC. Hence in the interest of justice two days time is being granted to I.O. as to the S 326 IPC.

[signature]
11.10.20

Heard & perused the papers. Let the record be put up before concerned court on 14.10.20. The accused is present through V.C. today.

[signature]
12.10.20

रिमाण्ड शीट

था० - सिंघाना

मु०अ०स० 83/20. U/S 147/148/452/323/324/506/326 IPC

11/10/2020

0/12/2020

बनाम - गफ्फूर S/O फकरूद्दीन R/O मोहल्ला P/S सिंघाना शामली

दिनांक 14.10.20 आरोपित को VC मेरे समक्ष पेश हुआ। विवेचक द्वारा मु० अ० स० 83/20, अंतर्गत धारा, 147, 148, 452, 323, 324, 504, 506, 326 I.P.C. थाना - सिंघाना में आरोपित गफ्फूर के रिमाण्ड की याचना की गयी है प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्वान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11.10.20 को प्रपत्रों के अवलोकन के बाद आरोपित का उपरोक्त धाराओं में दिनांक 13.10.20 तक के लिये रिमाण्ड स्वीकृत किया गया। उसी दिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 326 IPC के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज न होने का उल्लेख करते हुये I.O को दो दिन का समय दिया गया कि वह वह धारा 326 IPC के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करें। दिनांक 13.10.20 को विद्वान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पाते हुये दिनांक 14.10.20 तक के लिये उपरोक्त धाराओं में आरोपित का रिमाण्ड स्वीकृत किया गया तथा संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया। सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया आरोपित का रिमाण्ड उपरोक्त धाराओं में दिनांक 23-10-20 तक के लिये स्वीकृत किया जाता है।

14.10.20

23/10/20 → 06/11/20 आरोपित गफ्फूर उपरोक्त को जेल से तलब कर पेश पत्रावली समक्ष पेश किया गया विवेचक द्वारा रिमाण्ड याचना की गई अवलोकन से रिमाण्ड का आधार पर्याप्त है रिमाण्ड दि० 06/11/20 तक स्वीकृत हुआ। रिमाण्ड सलग्न है।

19/3/2021

RIM

23/10/20

06/11/2020 → 19/11/2020 अभि० गफ्फूर उपरोक्त को जेल से तलब कर द्वारा VC मेरे समक्ष पेश किया गया विवेचक द्वारा रिमाण्ड याचना पेश की गई अवलोकन से रिमाण्ड का आधार पर्याप्त है रिमाण्ड दिनांक 19/11/2020 तक स्वीकृत हुआ।

19/3/2021

RIM

06/11/2020

संलग्नक - 30

(56)

33
10/3/2021

न्यायालय श्रीमान C.J.M. शामली

मु0अ0सं0 - 438 सन - 2020

स0 बनाम ~~मयूर को~~ अहसान आदि

U/s - 147, 148, 452, 504, 323, 506, 307 IPC

PS - कैराना

नकल - रिमाण्ड शीट 10/10/2020 से 23/10/2020 तक

Date of Application. 10/3/2021
Date of Notice 19/3/2021
Date of Delivery 19/3/2021
Signature of H.C.

19/3/2021

रिमाण्ड शीट

(57)

मु0 अ0 सं0 438/20 धारा 147,148,452,504, चा0 थाना कैराना
323,506,307 IPC

बनाम 1 (1) अहसान S/o युसुफ R/o सिदरयान / अंसारियान PS कैराना शामली

2 आमिर S/o इसराइल R/o "

3 बिल्लू S/o युसुफ R/o "

4 उपरोक्त प्रा0 अभियुक्त

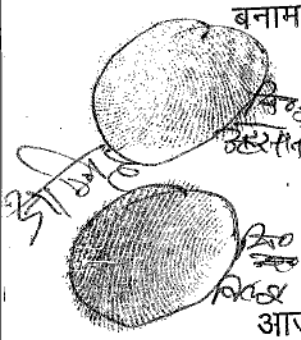

आज दिंनाक 10/10/20 को उपरोक्त वाद मे अभियुक्त / अभियुक्तगण थाने से गिरफतार मुद्रा मय सी. डी. मान व 14 योग रिमान्ड प्रा0 पत्र के न्या0 हाजिर आये अभियुक्त की धारा 167सी0आर0पी0.सी0 का वारन्ट बनाया जाये । विवेचक ने तकमेला तफतीश शेष होने के कारण 14 योग रिमाण्ड को प्रार्थना की है। सम्बधित कागजात का अवलोकन किया गया रिमान्ड का प्रर्याप्त आधार है।

अतः आदेश किया जाता है कि अभियुक्तगण का रिमाण्ड दिंनाक 10/10/20 से दिंनाक 13/10/2020 तक स्वीकार है तब तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा मे रखा जावे।

Heard & perused the R.O the document, the R.O at this stage has not submitted any such evidence by which the offence of S. 307 IPC is made out. The injury report submitted is only of simple injury caused to the victim. Hence in the interest of justice only 2 days remand is granted and R.O is directed to submit proper evidence to prove the offence of S. 307 IPC.

Sd/-

रिमान्ड मजिस्ट्रेट
शामली स्थित कैराना
10/10/2020

Heard & perused the papers. Let the accused be put up before concerned court on 13.10.20 the accused was present.
Sd/-
10.10.20
13.10.20

मु०अ०सं० - 438/20 U/S 147/148/452/504
323/506/307 IPC.

बनाम (1) अहसान S/o युसुफ R/o सिरपोल / कैराना [illegible]
(2) आकिल S/o इसराईल R/o उपरोक्त
(3) बिल्लू S/o युसुफ R/o उपरोक्त

दि० 14.10.20

अभियुक्तगण अहसान, आकिल व बिल्लू - जरिये V.C मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। विद्वान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दि० 11.10.20 को मु० अ० सं० 438/20 अंतर्गत धारा - 147, 148, 452, 504, 506, 323, 307 I.P.C. थाना कैराना में आधार पर्याप्त पाते हुये दिनांक 13.10.20 तक के लिये रिमांड स्वीकृत किया गया। उसी दिन धारा 307 IPC का कोई साक्ष्य न होने का उल्लेख किया गया और चोटों को साधारण होना कहा गया तथा विवेचक को साक्ष्य धारा 307 के संबंध में प्रस्तुत करने के लिये कहा गया और दो दिन की रिमाण्ड स्वीकृत की गयी। दिनांक 13.10.20 को विद्वान रिमांड मजिस्ट्रेट ने विवेचक के रिमाण्ड रिक्वेस्ट पर प्रपत्रों के अवलोकन के बाद संतुष्ट होते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त का उपरोक्त धाराओं में रिमांड दि० 14.10.20 तक के लिये स्वीकृत किया गया और संबंधित न्यायालय के दिनांक 14.10.20 को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया। पत्रावली का अवलोकन किया। आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण उपरोक्त का उपरोक्त धाराओं में रिमाण्ड दिनांक 23.10.20 तक के लिये स्वीकृत किया जाता है।

14.10.20

23/10/20
06/11/2020

अभि०गण उपरोक्त को जेल से तलब कर एवं V.C मेरे समक्ष पेश किया गया। विवेचक द्वारा रिमाण्ड प्रार्थना पत्र दी गई। अवलोकन से रिमाण्ड का आधार पर्याप्त है। रिमाण्ड दिनांक 06/11/2020 तक स्वीकृत हुआ है।

RJM
23/10/20

Photo Copy Compared By
Words....... 3.00/...... 19/3/2021

सत्य प्रतिलिपि
19/3/2021
मुख्य प्रतिलिपिक/शामली

75

संलग्नक - 31

58

ADMINISTRATIVE OFFICE DISTRICT JUDGE

SHAMLI AT KAIRANA

Order No. 77/A.O. -2020 **Date- 17-03-2020**

Order

In light of directions given by Hon'ble High Court vide letter bearing No. 395/Infra Cell dt 16-03-2020, only urgent matters be taken up in the following courts:-

1) **District & Sessions Judge-** All Urgent matters of District & Sessions Courts except matters relating to POCSO Act and NDPS Act.

2) **Addl. District & Sessions Judge/Special Judge, POCSO Act, Shamli-** Urgent matters relating to POCSO Act.

3) **Addl. District & Sessions Judge Shamli-** Urgent matters relating to NDPS Act.

4) **Chief Judicial Magistrate Shamli-** Urgent matters including bail and remand of all Magisterial Courts of Shamli.

5) **Civil Judge (SD), Kairana-** Urgent matters of the cadre of Civil Judge Senior Division.

6) **Civil Judge (JD), Shamli-** Urgent matters of the cadre of Civil Judge Junior Division.

Regular work in all other Courts may be suspended till 21-03-2020. Officers are advised to fix general dates in all other cases by public notice.

Inform all concerned.

Recd copy

17/3/2020

District Judge,

Shamli

received 17/3/2020

17/3/20

59

सं०/उ०क० - 32

(8)

Administrative Office, District & Sessions Judge, Shamli

Administratice Order No. 84/ A.O. -2020- Date--28-03-2020

Order

In compliance of direction issued by the Hon'ble High Court vide letter no. Camp-Memo /SLSA-15/2020(PS/Sharan) Dated March 27, 2020, regarding Resolution of the High Powered Committee constituted in the light of the directives of Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ Petition No. 01/2020 IN RE : CONTAGION OF COVID-19 IN PRISONS, the undertrial prisoners facing criminal cases in which maximum sentence is 07 years old presentely confined in jails has to be released on interim bail for 08 weeks on furnishing personal bonds with the undertaking written on the personal bond itself that he/she shall surrender before the court after expiry of the interim bail period along with other conditions may be imposed by the Court if it thinks fit, considering the circumstances of the case.

Hence it is directed that the Officres will visit the District Jail as per schedule mentioned below.

Cases for Sessions Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	30-03-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	All Sessions Cases & Special Act Cases, triable by Sessions Court
2	03-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
3	06-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
4	08-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	

Cases for Magistrate Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	30-03-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	All Cases related with the Court of Magistrate.
2	03-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
3	06-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
4	08-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	

It is further directed that Sushi Ruchi Tiwari, Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli shall ensure the services of Jail Para Legal Volunteers (PLVs) for assiatance & services of Prison Officers, Jail Staff in drafting bail application and their undertaking and personal bond, to be moved by undertrial prisoners and it is further directed that Jail Supdt. Shall be in continuous touch with the Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli as the DLSA is not constituted in District Shamli.

The Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli shall further ensure that the information regarding number of **Interim Bail** application moved and decided in a day, shall be communicated "daily" to the "State

Level Monitoring Team" and also be displayed on the official website of the Prison, i.e. "igprison-up@nic.in" as well as on whats app number 9792799707 of Sh. Bhagirath Verma, OSD, UPSLSA.

28/3/2020

(Shiv Mani Shukla)

District Judge,
Shamli

te- *This order is electronically generated for circulation purpose.*

(60)

संलग्नक -32

(87)

Administrative Office, District & Sessions Judge, Shamli

Administratice Order No. 91/ A.O. -2020- Date--07-04-2020

Order

In continuation of prior order no.84/A.O.-2020 dated 28-03-2020 the following Officres will visit the District Jail as per schedule mentioned below.

Cases for Sessions Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	10-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	All Sessions Cases & Special Act Cases, triable by Sessions Court
2	13-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	

Cases for Magistrate Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	10-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	All Cases related with the Court of Magistrate.
3	13-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	

Inform all concerned

7/4/2020

(Shiv Mani Shukla)
District Judge,
Shamli

Note- This order is electronically generated for circulation purpose.

संलग्नक- 34

(51)

प्रेषक,
राजमंगल सिंह यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली

सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश
शामली

विषय— माननीय महोदय के डी0ओ0नं21/पी0ए0(एस)जनपद न्यायाधीश/20021 के स्पष्टीकरण के संबंध में

महोदय,

महोदय उपरोक्त डी0ओ0 के साथ संलग्न प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड शामली के द्वारा प्रेषित पत्र में प्रार्थी के संबंध में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया, निम्नानुसार संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें—

1. महोदय प्रार्थी के संबंध में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड शामली के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 के पैरा 5 में यह कहा गया है कि किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती ललिता ने यह बताया कि सी0जे0एम0 ने यह अपने प्रभाव से बोर्ड का मुआयना 2 बजे से 4 बजे तक किया था और अपने न्यायालय का काम भी सी0जे0एम0 ने उस दिन किया था।

उपरोक्त तथ्य के संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थी ने किशोर न्याय(बालकों की देखरेख) संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुपालन में अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये किशोर न्याय बोर्ड शामली का दिनांक 24.12.20 को त्रैमासिक समीक्षा की गयी थी। समीक्षा के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड को सूचित किया गया था और उक्त समीक्षा की रिर्पोट माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किया गया है। इस प्रकार से मेरे द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बोर्ड की समीक्षा नियमानुसार की गयी है।

2. महोदय प्रार्थी के संबंध में प्रधान न्याायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड शामली के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 के पैरा 5 में ही श्रीमती ललिता के द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट को यह बताया जाना कि सी.जे.एम. से घनिष्ठ संबंध होने एवं घर आने जाने का कथन किया गया है जो कि बिल्कुल ही निराधार है। श्रीमती ललिता कभी मेरे घर नहीं आती हैं और न ही मेरे कोई संबंध है। प्रार्थी ने कभी भी श्रीमती ललिता के प्रभाव में आकर कोई न्यायिक कार्य नहीं किया है।

जहॉं तक मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा0द0स0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कॉंधला में मेरे द्वारा गंभीर धाराओं को हटाने का प्रश्न है उसके संबंध में यह कहना है कि कोविड 19 के कारण माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 395/इंफ्रा सेल दिनांकित 16 मार्च 2020 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 16.03.20 के अनुकम में जनपद शामली के सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समस्त अर्जेट कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था (संलग्नक—1) उपरोक्त रिमांड मेरे समक्ष न्यायालय सि0जज0 जू0डि0/जे0एम0, शामली के कोर्ट मोहर्रिर श्री अश्विनी द्वारा कराया गया था। जो प्रपत्रों की छायाप्रतियॉं मुझे उपलब्ध करायी गयी है उनके अवलोकन से दर्शित होता है कि रिमांड रिक्वेस्ट प्रपत्र पर मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा0द0स0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कॉंधला में प्रभारी अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा रिमांड स्वीकृत की गयी है। रिमांड प्रपत्र पर सभी अंकन कोर्ट मोहर्रिर द्वारा की गयी है और उसी के हस्तलेख में है।

(52)

कार्य अधिकता एवं उस दिन कोविड महामारी के कारण प्रार्थी समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों का कार्य कर रहा था। प्रार्थी ने कोई भी गंभीर धाराये नहीं हटायी बल्कि कोर्ट मोहर्रिर द्वारा रिमांड शीट पर उक्त धाराओ का अंकन नहीं किया गया। यदि प्रार्थी को गंभीर धाराये हटाना होता तो फिर रिमांड क्यों स्वीकृत करता। उसी दिन प्रार्थी द्वारा अन्य रिमांड भी किये गये । इस प्रकार गंभीर धाराओं के हटाने का तथ्य बेबुनियाद है और प्रार्थी ने सद्भाविक रूप से अपने न्यायिक कार्य को सम्पादित किया है। उक्त मामला थाना कांधला से संबंधित है और उस समय थाना कांधला का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी पीठासीन अधिकारी न्यायालय सि0जज जू0डि0/जे0एम0 शामली के पास था। उनके द्वारा भी मुझे इस संबंध में कभी अवगत नहीं कराया गया। रिमांड प्रपत्रों की छायाप्रति श्रीमती ललिता द्वारा किस प्रकार से प्राप्त करके प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को प्राप्त करायी गयी यह श्रीमती ललिता ही बता सकती है।

महोदय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शामली ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि श्रीमती ललिता ने उन्हें यह बताया कि रिमांड के समय ही सी0जे0एम0 ने यह कहा था कि मैं तुम्हारे लोगों को जेल से छुडवा दूँगा क्योकि कोविड 19 में लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते सात वर्ष तक की सजा वाले सभी अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अंतरिम जमानत पर छोडा जा सकता है, इसलिये तो मैंने रिमाण्ड में जानबूझकर धाराओं का लोप किया है। तुम निश्चिन्त रहो तुम्हारा काम हो जायेगा और मैंने जेल में जाकर अंतरिम जमानत देने की अपनी ड्यूटी लगायी है, वरना रिमांड मैं क्यों करूँ।

उपरोक्त तथ्य बिल्कुल गलत और निराधार है। मेरे द्वारा उक्त रिमांड प्रभारी अधिकारी के रूप में दिनांक 17.03.20 को किया गया है। कोविड19 के कारण जेल में निरूद्ध सात साल तक के सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को रिहा किये जाने का निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा suo moto writ petition No-01/2020 In Re Contagion Covid 19 In Prision एवं उ0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक सं0 कैम्प मेमो/एस0एल0एस0ए0–15/2020(पी0एस0सरन) दिनांकित 27 मार्च 2020 में दिये गये थे। जिसके अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांकित 28.03.20 के द्वारा न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जेल में जाकर विचाराधीन अभियुक्तों अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया था। (संलग्नक–2,3) प्रार्थी द्वारा जेल में जाकर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में कोई ड्यूटी नहीं लगायी गयी थी। अपितु माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अपने प्रशासिनक आदेशों से सभी न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी और उसी के अनुक्रम में प्रार्थी के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। यह तथ्य प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड की जानकारी में भी है क्योंकि उनकी भी ड्यूटी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लगायी गयी थी। इस प्रकार से यह कथन कि मेरे द्वारा अभियुक्त को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अपनी ड्यूटी लगायी गयी पूर्णतया तथ्यों से परे है और श्रीमती ललिता से मेरी कोई इस विषय पर कोई बात नहीं हुयी और न ही वह मुझसे इस संबंध में कभी मिली। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मेरे द्वारा रिमांड किया गया उस दिन तो अभियुक्तों को जेल में जाकर अंतरिम जमानत पर छोडने का कोई निर्देश भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया था। इस प्रकार से यह दर्शित होता है कि बहुत ही विचार विमर्श करके इन तथ्यों का उल्लेख स्पष्टीकरण में किया गया है, जो कि बिल्कुल ही निराधार एवं असत्य है।

जहॉ तक रिमांड ड्यूटी लगाने एवं थानों के वितरण का प्रश्न है, न्यायिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये समय समय पर न्यायालयों में पीठसीन अधिकारियों के नियुक्त होने पर कार्य का वितरण किया जाता है। जहॉ तक प्रार्थी द्वारा अपनी रिमांड ड्यूटी न लगाये जाने का प्रश्न है, प्रार्थी ने माह दिसम्बर तक में रिमांड

(53)

ड्यूटी की है और जब कभी किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई प्रेयर रिमांड ड्यूटी के लिये किया है, प्रार्थी ने रिमांड ड्यूटी करने में पूर्ण सहयोग किया है। जहॉ तक थाना झिंझाना के क्षेत्राधिकार अंतरित किये जाने का प्रश्न है, प्रार्थी के द्वारा नवनियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली का प्रशिक्षण समाप्त होने और न्यायिक कार्य शुरू करने के कारण फौजदारी मामलों का क्षेत्राधिकार का वितरण किया गया। महोदय यह भी अवगत कराना है कि जब कभी न्यायिक अधिकारी स्थानान्तरित होते हैं या उनकी कोर्ट बदलती है उसी परिस्थिति में मेरे द्वारा थानों का वितरण का आदेश आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करके किया गया है। माह अप्रैल 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण के अनुक्रम में मेरे द्वारा दिनांक 15.04.19 को आदरणीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व विचार विमर्श करके कार्य वितरण का आदेश पारित किया गया, जो कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा एप्रूव भी किया गया। पुनः आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विचार विमर्श और उनके आदेशानुसार दिनांक 17.04.19 को कार्य वितरण का आदेश पारित किया गया। पुनः दिनांक 26.04.19 को आदरणीय श्री रजत वर्मा ए0डी0जे0 सर ने मुझे अपने विश्राम कक्ष में बुलाया और कहा कि आपके थानों के कार्य वितरण आदेश से मजिस्ट्रेट लोग संतुष्ट नहीं है और मैंने थानों के कार्य वितरण का आदेश बनाया है और इस आदेश पर आदरणीय जिला जज साहब का एप्रूवल भी नहीं होगा। मैंने कहा कि सर मुझसे किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है और मैंने कहा कि सर दस दिन के अंदर तीन बार कार्य वितरण का आदेश पारित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और मैंने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्य वितरण आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदये से विचार विर्मश करके किया है तो तो इस पर आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने कहा कि देखिये यह इन्ट्री (ए0सी0आर0) का समय है और आप यदि आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपके लिये अहितकर हो जायेगा। मैंने कहा कि सर मैं आदरणीय जिला जज साहब से इस विषय पर बात कर लूँ तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और मुझसे यह भी कहा कि इस आदेश पर आदरणीय जिला जज साहब का एप्रूवल भी नहीं होगा। मैंने कहा कि सर माननीय उच्च न्यायालय का इस संबंध में सर्कुलर लेटर है तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाईये तो मैंने सर्कुलर लेटर दिखाया तब उक्त आदेश में सर्कुलर लेटर का उल्लेख किया गया। आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने कहा कि सी0जे0एम0 साहब समय के साथ चलिये। महोदय उक्त आदेश द्व ारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना सुश्री रूचि तिवारी को थाना झिंझाना के साथ–साथ थाना कैराना का क्षेत्राधिकार दिया गया और सुश्री मुक्ता त्यागी को थाना कांधला का क्षेत्राधिकार दिया गया जबकि सुश्री मुक्ता त्यागी के द्वारा मुख्य रूप से सिविल का कार्य किया जा रहा था। प्रार्थी के न्यायालय में थाना बाबरी और थाना गढीपुख्ता, थाना थानाभवन का क्षेत्राधिकार दिया गया जबकि प्रार्थी का न्यायालय पूर्णरूपेण फौजदारी न्यायालय है। प्रार्थी के न्यायालय में शामली थाना पहले से था। महोदय प्रार्थी ने ऐसी परिस्थिति में न तो आदरणीय जिला जज साहब से इस विषय पर बात की और प्रार्थी ने आखों में ऑसू लिये हुये भरे मन से आदेश पर हस्ताक्षर किया। इसकी पुष्टि दिनांक 26.04.19 के कार्य वितरण आदेश से होती है जो कि न तो प्रार्थी द्व ारा न तो प्रार्थी के आशुलिपिक द्वारा तैयार किया गया है अपितु उसे आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ए0डी0जे0 के द्वारा या तो स्वयं या अपने ततकलीन वादलिपिक से तैयार करवाया था। प्रार्थी के द्वारा शामली जजशिप के गठन होने के बाद जितने भी कार्य वितरण आदेश पारित किये गये हैं उनका प्रारूप दूसरा है और दिनांक 26.04.19 के आदेंश का प्रारूप दूसरा है (संलग्नक–4,5,6)। इस प्रकार से प्रार्थी ने स्वयं से कभी भी अपने किसी निजी हित के लिये फौजदारी के कार्य का वितरण नहीं किया अपितु प्रार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य निष्ठापूर्वक करता चला आ रहा है।

महोदय श्रीमती ललिता से मेरी थानों के वितरण या रिमांड ड्यूटी को लेकर कोई बात कभी नहीं हुयी और न ही वह इस संबंध में मुझसे कभी मिंली। मेरे द्वारा अपने किसी मिलने वाले को खनन का कोई पट्टा नहीं दिलवाया गया और न ही मेरे द्वारा जिला जज साहब की कोई सेवा की जाती है। अपितु इस संबंध में श्रीमती ललिता से मेरी कोई

(54)

बात होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे द्वारा अपने किसी परिचित को खनन का पट्टा दिलवाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जनपद शामली में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई परिचित नहीं है। मेरे द्वारा जिला जज की किसी प्रकार की सेवा किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सारी बातें कपोल कल्पित एवं तथ्यों से परे है। ऐसी बातों से मेरी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 09.02.21 के पूर्व भी श्रीमती ललिता द्वारा उनको इस बारे में धमकी दी गयी थी किन्तु प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा इस बारे में मुझे कभी अवगत नहीं कराया गया।

3. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पैरा 6 यह कहना कि श्रीमती ललिता ने उन्हें धमकी दी कि मेरा सी0जे0एम के घर आना जाना है, मेरे पति के कहने पर उन्होंने बहुत से काम किये हैं। यह तथ्य बिल्कुल ही गलत है और निराधार है। प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा मुझे कभी भी इस बारे में अवगत नहीं कराया गया कि अधोहस्ताक्षरी बारे में श्रीमती ललिता इस प्रकार की बात करती है।

4. महोदय प्रार्थी के संबंध में प्रधान न्याायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड शामली के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 के पैरा 9 में ही श्रीमती ललिता के द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को यह बताया जाना कि मैंने अपने प्रभाव से नजारत अनुभाग अपने पास ले लिया गया, बिल्कुल गलत है। अपितु प्रार्थी अपने न्यायालय के न्यायिक कार्यो के अतिरिक्त जिस भी प्रशासनिक कार्य के लिये उसे आदेशित किया जाता है, उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक करता है। यह तथ्य प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मेरे संज्ञान में आज तक नहीं लाया गया जबकि प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है दिनांक 09.02.21 को श्रीमती ललिता ने उन्हें यह जानकारी दी थी। जब कभी किसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय या माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा किसी शिकायत पर आख्या मांगी जाती है तो प्रार्थी के द्वारा नियमानुसार आख्या प्रेषित की जाती है।

जहॉ तक किशोर न्याय बोर्ड के त्रैमासिक समीक्षा के नजारत से भेजने का प्रश्न है ,बोर्ड एक अलग ईकाई है। मेरे प्रस्तुतकार द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के त्रैमासिक समीक्षा का कार्यवृत्त बोर्ड को, एवं जिलाधिकारी शामली को नजारत अनुभाग को प्रेषित करने लिये प्राप्त कराया गया था और न्यायालय के बाहर अन्य किसी संस्था को कोई डाक नजारत अनुभाग से ही प्रेषित की जाती हैं। जहॉ तक श्रीमती ललिता के द्वारा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह बताया जाना कि उन्हें त्रैमासिक निरीक्षण प्राप्त करने की जानकारी कब और कैसे हुयी, और किस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, यह तथ्य प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड एवं श्रीमती ललिता के बीच का है। श्रीमती ललिता प्रार्थी से इस सबंध में कभी नहीं मिली और न ही किसी प्रकार की जानकारी मेरे द्वारा दी गयी। पैरा 9 में जो भी तथ्य मेरे बारे में श्रीमती ललिता द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को बताया जाना कहा गया है वह बिल्कुल गलत है। मुझे प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इसके पहले कभी नहीं बताया गया कि मेरे बारे में श्रीमती ललिता प्रधान मजिस्ट्रेट के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 में उल्लिखित तथ्यों के बारे में उनसे बताया।

उपरोक्तानुसार प्रधान मजिस्ट्रेट के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 में प्रार्थी के संबंध में उल्लिखित तथ्यों के बारे मे जिसे कि प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपने को श्रीमती ललिता द्वारा बताया जाना कहा गया है बिल्कुल गलत है और प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा इन तथ्यों के बारे में मुझे कभी अवगत नहीं कराया गया जबकि अपने स्पष्टीकरण में स्वयं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यह कहा गया है कि सी0जे0एम एक सीनियर अधिकारी है। अपने सीनियर अधिकारी के बारे में ऐसी अनरगल बातें सुनने के बाद भी जैसा कि अपने स्पष्टीकरण में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय

(65)

बोर्ड द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त सारी बातें उन्हें श्रीमती ललिता ने बतायी थी, मुझे किसी भी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया।

उपरोक्तानुसार आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर!

दिनांक–01.03.21

(हस्ताक्षर) 01/3/21
(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली

संलग्नक –

1. प्रशासनिक आदेश सं० 77/AO/2020 दि० 17.3.20.
2. प्रशासनिक आदेश सं० 84/AO/2020 दि० 28.03.20
3. प्रशासनिक आदेश सं० 94/AO/2020 दि० 15.04.20
4. कार्य वितरण आदेश दि० 15.4.19 की छायाप्रति
5. कार्य वितरण आदेश दि० 17.4.19 की छायाप्रति
6. कार्य वितरण आदेश दि० 26.4.19 की छायाप्रति
7. कार्य वितरण आदेश दि० 24.9.20 की छायाप्रति

75

56

ADMINISTRATIVE OFFICE DISTRICT JUDGE SHAMLI AT KAIRANA

Order No. 77/A.O. -2020

Date- 17-03-2020

Order

In light of directions given by Hon'ble High Court vide letter bearing No. 395/Infra Cell dt 16-03-2020, only urgent matters be taken up in the following courts:-

1) **District & Sessions Judge-** All Urgent matters of District & Sessions Courts except matters relating to POCSO Act and NDPS Act.

2) **Addl. District & Sessions Judge/Special Judge, POCSO Act, Shamli-** Urgent matters relating to POCSO Act.

3) **Addl. District & Sessions Judge Shamli-** Urgent matters relating to NDPS Act.

4) **Chief Judicial Magistrate Shamli-** Urgent matters including bail and remand of all Magisterial Courts of Shamli.

5) **Civil Judge (SD), Kairana-** Urgent matters of the cadre of Civil Judge Senior Division.

6) **Civil Judge (JD), Shamli-** Urgent matters of the cadre of Civil Judge Junior Division.

Regular work in all other Courts may be suspended till 21-03-2020. Officers are advised to fix general dates in all other cases by public notice.

Inform all concerned.

recd copy

Seen 17/3/20

received 17/3/2020

17/3/2020

District Judge,

Shamli

Administrative Office, District & Sessions Judge, Shamli

Administratice Order No. 84/ A.O. -2020- Date--28-03-2020

Order

In compliance of direction issued by the Hon'ble High Court vide letter no. Camp-Memo /SLSA-15/2020(PS/Sharan) Dated March 27, 2020, regarding Resolution of the High Powered Committee constituted in the light of the directives of Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ Petition No. 01/2020 IN RE : CONTAGION OF COVID-19 IN PRISONS, the undertrial prisoners facing criminal cases in which maximum sentence is 07 years old presentely confined in jails has to be released on interim bail for 08 weeks on furnishing personal bonds with the undertaking written on the personal bond itself that he/she shall surrender before the court after expiry of the interim bail period along with other conditions may be imposed by the Court if it thinks fit, considering the circumstances of the case.

Hence it is directed that the Officres will visit the District Jail as per schedule mentioned below.

Cases for Sessions Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	30-03-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	All Sessions Cases & Special Act Cases, triable by Sessions Court
2	03-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
3	06-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
4	08-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	

Cases for Magistrate Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	30-03-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	All Cases related with the Court of Magistrate.
2	03-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
3	06-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
4	08-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	

It is further directed that Sushi Ruchi Tiwari, Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli shall ensure the services of Jail Para Legal Volunteers (PLVs) for assiatance & services of Prison Officers, Jail Staff in drafting bail application and their undertaking and personal bond, to be moved by undertrial prisoners and it is further directed that Jail Supdt. Shall be in continuous touch with the Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli as the DLSA is not constituted in District Shamli.

The Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli shall further ensure that the information regarding number of **Interim Bail** application moved and decided in a day, shall be communicated "daily" to the "State

(68)

Administrative Office, District & Sessions Judge, Shamli

Administratice Order No. 94/ A.O. -2020- Date--15-04-2020

Order

In continuation of prior orders No.84/A.O.-2020 dated 28-03-2020 & 91/A.O. -2020 dated 07-04-2020 the following Officres will visit the District Jail as per schedule mentioned below.

Cases for Sessions Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	16-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	All Sessions Cases & Special Act Cases, triable by Sessions Court
2	18-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
3	20-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
4	22-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
5	24-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
6	27-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
7	29-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
8	01-05-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	

Cases for Magistrate Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	16-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	All Cases related with the Court of Magistrates
2	18-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
3	20-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
4	22-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
5	24-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
6	27-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
7	29-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
8	01-05-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	

Inform all concerned.

15/4/2020

(Shiv Mani Shukla)
District Judge,
Shamli

Note: This order is electronically generated for circulation purpose.

(59)

विश्राम कक्ष
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 95
शामली

आदेश सं0– 13

दिनांकित–15.04.19

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया से विचार विमर्श के उपरांत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना दिनांकित 10.04.19 के द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने पर न्याय प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन हेतु फौजदारी कार्यों के संबंध में पूर्व की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये ~~थाना झिंझाना,जी0आर0पी0 शामली एवं आदर्शमंडी के~~ कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है–

1. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों एवं भा0द0स0 की धारा 302, 304बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि0, खान व खनिज अधि0, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधि0, वन अधि0 व सर्किल शामली व कैराना के आबकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि0, कापीराईट अधि0, चलचित्र अधि0, आर0टी0ओ0 चालानी, लोकसेवकों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द0प्र0स0, संबंधित मामलों को छोडकर थाना झिंझाना एवं जी0आर0पी0 शामली से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को सिवल जज (सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, कैराना के न्यायालय से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

2. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों एवं भा0द0स0 की धारा 302, 304बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि0, खान व खनिज अधि0, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधि0, वन अधि0 व सर्किल शामली व कैराना के आबकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि0, कापीराईट अधि0, चलचित्र अधि0, आर0टी0ओ0 चालानी, लोकसेवकों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द0प्र0स0, एवं संबंधित से संबंधित मामलों को छोडकर थाना थानाभवन, शामली से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से वापस लेकर न्यायालय सि0जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

3. न्यायालय सिविल जज सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 शामली में लंबित थाना कैराना से संबधित सभी पत्रावलियों वापस लेकर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित की जाती है।

4. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों एवं भा0द0स0 की धारा 302, 304बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि0, खान व खनिज अधि0, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधि0, वन अधि0 व सर्किल शामली व कैराना के आबकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि0, कापीराईट अधि0, चलचित्र अधि0, आर0टी0ओ0 चालानी, लोकसेवकों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द0प्र0स0, से संबंधित मामलों को छोडकर थाना बाबरी एवं थाना गढीपुख्ता से संबंधित सभी प्रकार के मामलों

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। (60)

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में लंबित आर्थिक अपराध से संबंधित सभी प्रकार की पत्रावलियॉं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली में स्थानांतरित की जाती है।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

15/4/19.
(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
शामली

प्रतिलिपि--

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदन हेतु
2. एस0पी0ओ0 शामली को सूचनार्थ प्रेषित,
3. एस0पी0 शामली को सूचनार्थ प्रेषित,
4. बार एसोशिएशन शामली स्थित कैराना,
5. सभी संबंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ,
6. रेशन क्लर्क, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ,
7. हेड लिपिक सी0जे0एम0, शामली को

approved
15.4

(81)

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली। 97

आदेश संख्या 14 दिनांक 17-04-19

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया से विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली के न्याय प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन हेतु फौजदारी कार्यों के सम्बंध में पूर्व की व्यवस्था थाना कांधला एवं बाबरी से सम्बंधित आदेश को अतिक्रमित करते हुए थाना कांधला एवं बाबरी के कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है।

1- थाना कांधला से सम्बधित सभी प्रकार के जो मामलें न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

2- माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों एवं भा.द.सं. की धारा 302,304 बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि. खान व खनिज अधि, केबल नेटवर्क्स (रेगुलेशन) अधि., वन अधि. व सर्किल शामली व कैराना के आबकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि. कॉपीराइट अधि. चलचित्र अधि. [illegible] लोक सेवकों के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. से सम्बंधित मामलों को छोड़कर थाना बाबरी से सम्बंधित समस्त मामलों को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में स्थानांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में पारित कार्य वितरण का आदेश याथावत रहेगा।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

17/04/19
(राजमगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

प्रतिलिपि-

1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदन हेतु।
2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
3- एस.पी., शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
4- बार एसोसिएशन, शामली स्थित कैराना।
5- सभी सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
6- सेशन क्लर्क, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ।
7- दण्ड लिपिक सी.जे.एम., शामली को।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

(62)

105

कार्य वितरण आदेश

न्यायिक प्रतिष्ठान शामली के आपराधिक न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु फौजदारी कार्य वितरण के संबंध में पूर्व में पारित आदेश में आंशिक परिवर्तन करते हुए फौजदारी कार्य वितरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी सकुर्लर संख्या 198/एडमिन.(ए) दिनांकित 10.12.1976 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश से विचार--विमर्श के पश्चात् निम्न आदेश पारित किया जाता है।

कॉलम संख्या 01 में वर्णित न्यायालय को कॉलम संख्या 2 में वर्णित क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है।

कॉलम 01	कॉलम 02
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	थाना गढ़ीपुख्ता से संबंधित सभी वाद व परिवादों का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से वापस लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को, थाना थाना भवन से संबंधित सभी वाद व परिवादों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (सी.डि.), शामली से वापस लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को व थाना बाबरी से संबंधित सभी प्रकार के वाद व परिवादों का क्षेत्राधिकार सिविल जज (जू.डि.), शामली से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को प्रदान किया जाता है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना	थाना कैराना से संबंधित सभी प्रकार के वाद एवं परिवादों का क्षेत्राधिकार (302, 304, 304बी., 396 भा.दं.वि. को छोड़कर) न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना को प्रदान किया जाता है।
सिविल जज (जू.डि.), शामली	थाना कांधला से संबंधित सभी वाद एवं परिवाद का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से वापस लेकर सिविल जज (जू.डि.) को प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त शेष न्यायिक क्षेत्राधिकार पूर्ववत रहेगा।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावी होगा।

26/4/19

(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली स्थित कैराना।

दिनांक--26.04.2019

26/04/19

प्रतिलिपिः--

01-- माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन हेतु।
02-- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
03-- एस.पी., शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
04-- बार एसोसिएशन, शामली स्थित कैराना।
05-- सभी संबंधित न्यायालयों को अनुपालार्थ।
06-- सेशन क्लर्क, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ।
07-- दण्ड लिपिक सी.जे.एम., शामली को।

26/4/19

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली स्थित कैराना।

270 (33)

विश्राम कक्ष
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली

आदेश सं0– 265 दिनांकित– 14.09.20

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरांत न्यायालय सिविल जज(सी0डि0) शामली में माननीय उच्च न्यायालय के अधिसूचना के अनुक्रम में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने और न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के प्रशिक्षण की अवधि को समाप्त होने को ध्यान में रखते हुये न्याय प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन हेतु फौजदारी कार्यों के संबंध में पूर्व की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये थाना झिंझाना, कांधला, गढीपुख्ता, बाबरी, आदर्शमंडी, महिला थाना शामली के कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है–

1. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों को छोडकर, जनपद शामली के सभी थानों के भा0द0स0 की धारा 302, 304बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि0, खान व खनिज अधि0, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधि0, वन अधि0 व सर्किल शामली व कैराना के आबकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि0, कापीराईट अधि0, चलचित्र अधि0,ए0आर0टी0ओ0 चालानी, लोकसेवकों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द0प्र0स0, एवं परिवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली को होगा।

2. न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना में थाना झिंझाना से संबंधित क्रम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोडकर सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, से वापस लेकर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित किया जाता है।

3. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना कांधला से संबंधित क्रम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोडकर, सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित किया जाता है।

4. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना थानाभवन से संबंधित क्रम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोडकर, सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना में स्थानांतरित किया जाता है।

5. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना बाबरी से संबंधित क्रम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोडकर सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर

14/9/20

(84)

976/2

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना में स्थानांतरित किया जाता है।

6. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना आदर्शमंडी से संबंधित कम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोडकर, सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित किया जाता है।

7. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना गढीपुख्ता एवं महिला थाना शामली से संबंधित क्रम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोडकर, सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित किया जाता है।

नोट– कम संख्या 3, 4 एवं 6 में उल्लिखित आदेश न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) शामली, में पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने एवं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में पीठासीन अधिकारी के न्यायालय प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने व न्यायिक कार्य प्रारम्भ करने के दिनांक से प्रभावी होगा।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

14/9/20

(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली

'Approved' with effect from 17/09/2020.
14/09/2020

प्रतिलिपि–
1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदन हेतु
2. एस0पी0ओ0 शामली को सूचनार्थ प्रेषित.
3. एस0पी0 शामली को सूचनार्थ प्रेषित,
4. बार एसोशिएशन कैराना, को सूचनार्थ,
5. सभी संबंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ.
6. सेशन क्लर्क, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ,
7. दंड लिपिक सी0जे0एम0, शामली को

16/09/2020 16/9/2020 16-9-2020 16/9/2020

(95)

मुक्ता त्यागी,
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
शामली।

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

विषयः– **दिनांक 21.12.2020 को आहूत की गयी मीटिंग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि दिनांक 21.12.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या -2421/मेन-बी/एडमिन (ए-3) इलाहाबाद दिनांकित 19.02.2014 के अनुपाल में माननीय जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गयी है। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

भवदीय,
16/12/2020
(मुक्ता त्यागी)
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
शामली।

दिनांक–16.12.2020

प्रतिलिपिः–

1.प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
2.अपर पुलिस अधीक्षक, शामली।
3.सदस्या किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
4.जिली प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, शामली.
5.प्रभारी सहायक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह(किशोर), शामली।
6.नोडल अधिकारी स्पेशल जुवेनाईल पुलिस यूनिट।
7.जिला समाज कल्याण अधिकारी, शामली।
8.विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, शामली.

16/12/20

It is to mention that ...

Chief Judicial Magistrates as given in Section 16 of the JJ Act, 2015 has been ... by the Hon'ble Committee. In this regard, the resolution passed by the Hon'ble Committee is quoted below:-

"The Committee resolves and directs concerned officer to call a report from Chief Judicial Magistrates of all districts, as to quarterly review of pendency of cases, before the Juvenile Justice Boards.

If any reviews have been done by the Chief Judicial Magistrates, under Section 16 of the JJ Act, 2015, what were the deficiencies noticed, solutions suggested, measures taken for speedy disposal of cases, specially to increase the frequency of sittings of the Boards etc. The report shall be submitted within 15 days from the date of communication."

I am, therefore, to request you to kindly take necessary steps for compliance of the direction of the Hon'ble Committee and kindly ensure submission of compliance report **within 15 days**, so that the same may be placed before the Hon'ble Committee.

Yours Faithfully,

25/12/2020

Incharge Registrar (J)(E)/Registrar (J)(C)
High Court at Lucknow

Through E-mail (76)

सं०अ०२०२०-36

From,

Vijendra Tripathi, H.J.S.,
Incharge Registrar (J)(E)/Registrar (J)(C)
High Court at Lucknow

To,

All the District & Session Judges,
Subordinate to High Court of Judicature at
Allahabad.

Dated- 9th December, 2020

No. 7361 /JJC/2020 : Lucknow

Subject– Regarding compliance of the **resolution dt. 05.12.2020** passed by the Hon'ble High Court Juvenile Justice Committee constituted for monitoring the implementation of the Juvenile Justice Act and the Rules in the State of U.P.

Sir Madam,

On the above noted subject, I have been directed to convey the relevant resolutions of the meeting dated 05.12.2020 of the Hon'ble High Court, Juvenile Justice Committee to your goodself for **timely strict compliance** of the directions given by the Hon'ble Committee.

It is to mention that the matter regarding monitoring of Juvenile Justice Boards by Chief Judicial Magistrates as given in Section 16 of the JJ Act, 2015 has been considered by the Hon'ble Committee. In this regard, the resolution passed by the Hon'ble Committee is quoted below:-

"The Committee resolves and directs concerned officer to call a report from Chief Judicial Magistrates of all districts, as to quarterly review of pendency of cases, before the Juvenile Justice Boards.

If any reviews have been done by the Chief Judicial Magistrates, under Section 16 of the JJ Act, 2015, what were the deficiencies noticed, solutions suggested, measures taken for speedy disposal of cases, specially to increase the frequency of sittings of the Boards etc. The report shall be submitted within 15 days from the date of communication."

I am, therefore, to request you to kindly take necessary steps for compliance of the direction of the Hon'ble Committee and kindly ensure submission of compliance report **within 15 days**, so that the same may be placed before the Hon'ble Committee.

Yours Faithfully,
25/12/2020
Incharge Registrar (J)(E)/Registrar (J)(C)
High Court at Lucknow

(67)

संलग्नक- 3)

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

सेवा में,

प्रधान मजिस्ट्रेट,

किशोर न्याय बोर्ड, शामली।

विषय- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम, 2015) की धारा 16 के अनुपालन में त्रैमासिक समीक्षा के सम्बंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त उपबन्ध के अनुपालन में त्रैमासिक समीक्षा आज दिनांक 24-12-2020 को समय 2-4 बजे के बीच की जानी है। सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

24/12/2020

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

दिनांक 24-12-2020

प्रतिलिपि-

माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ

24/12/2020
10:40 AM

किशोर न्यायबोर्ड, शामली की त्रैमासिक समीक्षा का कार्यवृत्त

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015) धारा 16 के अनुपालन में दिनांक 24-12-2020 को मेरे द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की गयी। वर्तमान में सुश्री मुक्ता त्यागी किशोर बोर्ड में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं तथा श्रीमती ललिता देवी सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

किशोर न्यायबोर्ड की समीक्षा के समय प्रधान मजिस्ट्रेट, सुश्री मुक्ता त्यागी सदस्य श्रीमति ललिता, आशुलिपिक सचिन कुमार एवं सुश्री शोभा शर्मा विधि सह परिविक्षा अधिकारी उपस्थित थी। सुश्री शोभा शर्मा के द्वारा बताया गया कि उन्हें बोर्ड में लिपिक के तौर पर कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया है।

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड द्वारा बताया गया कि किशोर न्यायबोर्ड में वर्तमान में कुल 2119 वाद जिसमें किशोर अपचारी घोषित करने, जमानत प्रार्थनापत्र के सम्बंध में, एवं जघन्य अपराधों के सम्बंध में लम्बित हैं। किशोर न्यायबोर्ड द्वारा प्राप्त कराये गये विवरणपत्र में किशोर न्याय बोर्ड में कुल कितने वाद लम्बित है उनका वर्षवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड को आदेशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अन्दर किशोर न्यायबोर्ड में कुल कितने वाद/पत्रावलियां लम्बित हैं उनका विवरण वाद संख्या, अपराध संख्या, धारा,थाना,दायरा तिथि के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, शामली द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 के 106 वाद लम्बित है, वर्ष 2019 के 52 वाद लम्बित है तथा वर्ष 2020 के 33 वाद लम्बित है तथा किशोर अपचारी घोषित किये जाने हेतु वर्ष 2018 के 7 प्रार्थनापत्र तथा वर्ष 2019 के 5 प्रार्थनापत्र एवं वर्ष 2020 के 16 प्रार्थनापत्र लम्बित हैं तथा एक जमानत प्रार्थनापत्र लम्बित है।

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड द्वारा पूछने पर यह बताया गया कि सप्ताह में दो दिन बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को बोर्ड पूर्णकालिक रूप से कार्य करता है और मेरे द्वारा अपने न्यायालय की उक्त दिवस में पेशी की भी सुनवाई की जाती है। मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य को श्रीमती ललिता देवी द्वारा बोर्ड की बैठक के दिन बढ़ाये जाने के बारे में पूछने पर कहा गया कि न्यायालय में लम्बित मामलों को देखते हुए किशोर न्यायबोर्ड में बैठकों के दिन बढ़ाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो दिन पूर्णकालिक पर्याप्त हैं। प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड द्वारा यह बताया गया कि बोर्ड में कोई भी लिपिक कार्यरत नहीं है। बोर्ड के सदस्य एवं आशुलिपिक के द्वारा ही लिपिक का भी कार्य किया जाता है। इस सम्बंध में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह लिपिक के सम्बंध में उचित माध्यम से पत्राचार करना सुनिश्चित करें जिससे कि लिपिक की नियुक्ति हो सके और बोर्ड का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

24/12/20

(89)

12/3

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड के लिये जो भवन उपलब्ध है उसमें एक ही कमरे में बोर्ड की बैठकें भी होती हैं और उसी में कार्यालय भी चलता है। अलग से कोई विश्राम कक्ष नहीं है। इस सम्बंध में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह इस सम्बंध में उचित माध्यम से पत्राचार करना सुनिश्चित करें।

आशुलिपिक श्री सचिन कुमार द्वारा बताया गया कि बोर्ड की बैठकें बोर्ड के लिये उपलब्ध कराये भवन में न होकर प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होती थी। प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड एवं सदस्य को निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड की बैठकें बोर्ड के बैठने के लिये जो स्थान उपलब्ध कराया गया है वहीं पर ही बैठकें हों और समस्त कार्यवाही वहीं पर की जाये।

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड द्वारा यह बताया गया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015) की धारा 14 की उपधारा 4 के अन्तर्गत जॉच को पूर्ण करने के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई पत्राचार किया गया है या नहीं। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि धारा 14 में उल्लिखित उपबन्धों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के दौरान किशोर न्यायबोर्ड में यह तथ्य भी देखा गया कि बोर्ड में प्रकाश की व्यवस्था उचित नहीं है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह इस संबंध में उचित माध्यम से पत्राचार करें।

किशोर न्यायबोर्ड की बैठक जिस भवन में होती है उसमें डायस बनी हुई है। जिससे वह किशोर न्यायबोर्ड का स्वरूप नहीं न्यायालय का स्वरूप दर्शित होता है, जो कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015) की मंशा के विपरीत है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड के द्वारा यह बताया गया कि इस रूप में ही यह भवन प्राप्त कराया गया है और इसको हटाये जाने के सम्बंध में कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015)के अनुसार बोर्ड अपनी बैठक ऐसे परिसर में करेगा कि वह परिसर किसी भी स्थिति में न्यायालय जैसा नहीं दिखेगा और बोर्ड के सदस्य ऊँचे मंच पर नहीं होंगे। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि डायस हटाये जाने के संबंध में उचित माध्यम से पत्राचार करना सुनिश्चित करें।

किशोर न्याय बोर्ड,शामली के प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की आयु का निर्धारण करने के सम्बन्ध में वाद सं० 16/11/2019 व 07/11/2019 सन् 2019 से लम्बित है। विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह ऐसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण जो कि लम्बे समय से विचाराधीन है, कोविड-19 के लिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों को अपनाते हुये निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

12/4

(80)

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015) की धारा 16(3) के उपबन्धों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सर्कुलर एवं किशोर न्यायबोर्ड के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड की बैठक करना सुनिश्चित करें।

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय मामलों के अति शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, से साक्ष्य हेतु अनुमति प्राप्त कर मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करें।

Specimen 24/12/20

दिनांक –24–12–2020

(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

प्रतिः–

1– माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ
2– जिलाधिकारी, शामली।
3– प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड, शामली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4– जिला प्रोवेशन अधिकारी, शामली।